



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 54]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 20, 2013/फाल्गुन 1, 1934

No. 54]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 20, 2013/PHALGUNA 1, 1934

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2013

सं. 18-1/2010-एस (एम.एस.आर.)— भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 36 (त्र) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् भारत सरकार की पूर्व अनुमति से निम्न विनियम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ:-

- (1) इन विनियमों को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (सिद्ध महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के न्यूनतम मानक आवश्यकताएँ) विनियम, 2013 कहा जायेगा।
- (2) ये राजपत्र अधिसूचना में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा:-

- (1) इन विनियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-
 - (क) 'अधिनियम' से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 अभिप्रेत है।
 - (ख) 'कॉलेज' से सिद्ध महाविद्यालय या संस्थान जिसमें सिद्ध का स्नातकीय पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है या प्रस्तावित है, अभिप्रेत है।
 - (ग) 'संलग्न अस्पताल' से सिद्ध महाविद्यालय से संलग्न शिक्षण सिद्ध अस्पताल अभिप्रेत है।
- (2) यहां पर प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्ति जो यहाँ परिभाषित नहीं है, परन्तु अधिनियम में परिभाषित है, का अभिप्राय अधिनियम में उनके लिए दिए गए अर्थ से होगा।

3. न्यूनतम मानक आवश्यकताएं:-

- (1) अधिनियम की धारा 13क के अधीन स्थापित सिद्ध कॉलेज एवं धारा 13ग के अधीन वर्तमान सिद्ध कॉलेज एवं उनसे संलग्न अस्पताल, विनियम 4 से 11 में निर्दिष्ट बुनियादी ढांचे एवं शिक्षण और प्रशिक्षण सुविधाओं के न्यूनतम मानक आवश्यकताओं को आगामी शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश करने हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए 31 दिसम्बर, 2014 तक पूरा करेंगे।
- (2) यदि कॉलेज 31 दिसम्बर, 2014 तक इन अधिसूचित विनियमों के अनुसार आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है, उसे प्रवेश करने हेतु पांच वर्ष की अवधि से अधिक अनुमति नहीं दी जायेगी, जिसके लिए यादृच्छिक जांच जो किसी शिकायत के प्राप्त होने पर, के अतिरिक्त या जब तक केन्द्र सरकार या भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा आवश्यक नहीं समझा जायें, कॉलेज का निरीक्षण नहीं किया जायेगा।
- (3) केन्द्रीय परिषद् अनुमति समाप्त होने की अवधि से तीन माह पूर्व कॉलेज का परिदर्शन करेगी।
- (4) सशर्त अनुमति केवल उन्हीं कॉलेजों को दी जायेगी जो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 का 15 मई, 2013 के पश्चात् शैक्षणिक वर्ष 2013-14 और 31 दिसम्बर, 2013 के पश्चात् शैक्षणिक वर्ष 2014-15 हेतु अलग से किए गए निरीक्षण के आधार पर कम से कम अनुसूची V में उल्लिखित शिक्षकों की आवश्यकता को, विनियम 7 के उपविनियम (2) में उल्लिखित क्रियाशील अस्पताल एवं अनुसूची-VII में उल्लिखित उपकरण की उपलब्धता को पूरा करते हैं।
- (5) ऐसे सशर्त अनुमति प्राप्त कॉलेज या जिन्हें अनुमति से इन्कार कर दिया गया, शैक्षणिक वर्ष 2013-14 और/या 2014-15 हेतु, 31 दिसम्बर, 2014 तक विनियमों में उल्लिखित वांछित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।
- (6) समस्त विद्यमान कॉलेज, जो विनियमों में उल्लिखित आवश्यकताओं को 31 दिसम्बर, 2014 तक पूर्ण रूप से पूरा करने में असमर्थ रहते हैं, उन्हें शैक्षणिक वर्ष 2015-16 से आगे अनुमति नहीं दी जायेगी और ऐसे कॉलेजों के आवेदन, धारा 13क एवं 13ग के अधीन रद्द किये जायेंगे एवं अलग से अधिनियम की धारा 21 के अनुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी।

4. भूमि की आवश्यकता:-

- (1) इन विनियमों के अधीन 60 सीटों की प्रवेश क्षमता वाले मेडीकल कॉलेज एवं संलग्न अस्पताल एवं अन्य आधारीक संरचना के निर्मित भवन कम से कम तीन एकड़ के एक प्लॉट पर उपलब्ध हो।
- (2) 61 से 100 सीटों की प्रवेश की क्षमता हेतु भूमि पांच एकड़ से कम नहीं हो और दो प्लॉट से अधिक नहीं हो एवं उनकी दूरी 2 किलोमीटर से अधिक नहीं हो तथा प्लॉट

- यदि सड़क या नहर या नाले के कारण अलग हो लेकिन एक पुल से जुड़े हों तो भूमि का एक ही टुकड़ा समझा जायेगा।
- (3) कुल निर्माण क्षेत्र, अनुमेय तल क्षेत्र अनुपात या फ्लोर स्पेस इंडेक्स सक्षम प्राधिकारी या स्थानीय कानूनों या नियमों द्वारा दी गई अनुमति पर आधारित होगा।
 - (4) केन्द्र सरकार की अनुमति के लिए आवेदन करते समय स्थानीय नगर निगम का अधिकारिक प्रमाण पत्र जो यह प्रमाणित/अनुमोदित करता हो कि भवनों का निर्माण एवं उनका निर्माण क्षेत्र अनुसूची-1 एवं अनुसूची-II के अनुसार है एवं यह भवन भूमि के टुकड़े में निर्मित हो सकते हैं, संलग्न होना चाहिए।
 - (5) भूमि कॉलेज के स्वामित्व में होनी चाहिए या न्यूनतम 99 वर्ष की अवधि के लिए कॉलेज के नाम पर पट्टे पर होनी चाहिए अथवा सम्बन्धित राज्य सरकार या संघ राज्य के नियमों-विनियमों के अनुसार अधिकतम अनुमति अवधि के पट्टे पर होनी चाहिए तथापि अनुमति का नवीनीकरण पट्टे की समाप्ति पर आवश्यक होगा।
 - (6) भूमि का विस्तार तथा स्वामित्व 7 नवम्बर, 2003 से पूर्व स्थापित कॉलेजों के लिए लागू नहीं है परन्तु सक्रिय पट्टे की अवधि के अंत में ऐसे कॉलेजों को या तो अपनी निजी भूमि रखनी होगी या फिर इसे पट्टे पर न्यूनतम 99 वर्ष की अवधि के लिए अथवा सम्बन्धित राज्य सरकार या संघ राज्य के नियमों-विनियमों के अनुसार अधिकतम अनुमति अवधि के पट्टे पर प्राप्त करना होगा।

स्पष्टीकरण- तल क्षेत्र अनुपात या फ्लोर स्पेस इंडेक्स उस स्थान की भूमि के आकार के लिए इमारतों की कुल तल क्षेत्र अनुपात है या इस तरह के एक अनुपात पर लगायी सीमा पर है।

5. न्यूनतम निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता:-

- (1) साठ छत्रों तक की भर्ती की क्षमता हेतु प्रत्येक कॉलेज एवं संलग्न अस्पताल का निर्मित क्षेत्र दो हजार वर्ग मीटर होगा।
- (2) 61 से 100 छत्रों तक की प्रवेश क्षमता वाले कॉलेज एवं संलग्न अस्पताल का निर्मित क्षेत्र क्रमशः चार हजार और तीन हजार एवं पांच सौ वर्ग मीटर होगा।
- (3) अनुसूची-I एवं अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट विवरणानुसार कॉलेज एवं अस्पताल के भवनों का निर्माण अलग-अलग किया जाना चाहिए तथा कॉलेज एवं अस्पताल के भवनों की अलग-अलग आवश्यकता इस अधिसूचना के तिथि के पश्चात् स्थापित कॉलेजों पर लागू होगी।
- (4) कॉलेज को सुचारू रूप से कार्य करने हेतु, अन्य आवश्यक आधारीक संरचनाएं जैसे कॉलेज एवं अस्पताल के कर्मचारी हेतु पर्याप्त आवास, बाह्य एवं अन्तरंग खेलों की सुविधा, नागरिक एवं बिजली की सेवाएं और कार्यशाला, कॉलेज एवं अस्पताल के परिसर के अन्दर पर्याप्त गाड़ी-स्थान के रख रखाव का भी पालन करना होगा।

(5) वनौषधि उद्यान का न्यूनतम क्षेत्र अनुसूची-III में विहित न्यूनतम क्षेत्र के अनुसार होना चाहिए।

6. प्रवेश क्षमता:- स्नातक पाठ्यक्रम की वार्षिक प्रवेश क्षमता 60 एवं 100 के स्तर में होगी। यदि किसी भी कॉलेज में 60 से कम या 61 और 100 सीटों की प्रवेश क्षमता है, उसे अनुसूची-I से अनुसूची-VII तक में वर्णित क्रमशः 60 एवं 100 सीटों की आवश्यकताओं का पालन करना होगा।

7. शिक्षण अस्पताल की आवश्यकताएं:-

- (1) शिक्षण अस्पताल, अस्पताल स्थापित करने और संचालित करने हेतु सम्बन्धित राज्य या स्थानीय प्राधिकरण की सभी सांविधिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा और ऐसी अनुमति या निकासी की अद्यतन प्रमाणित प्रतियां केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय परिषद् को प्रस्तुत करेगा एवं सम्बन्धित राज्य सरकार या संघ राज्य सरकार ऐसे आवेदक कॉलेजों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व ऐसे अनुमति या निकासी की उपलब्धता को सत्यापित करेगी।
- (2) शय्याओं की आवश्यकता, शय्या अधिभोग और बाह्यरोगी विभाग उपस्थिति :- स्नातकीय पाठ्यक्रम हेतु छात्रों का अनुपात शय्याओं की संख्या के साथ, अंतरंग रोगी विभाग का शय्या अधिभोग एवं बाह्य रोगी विभाग की उपस्थिति क्रमशः 1:1, चालीस प्रतिशत एवं 1:2, जैसा कि निम्न तालिका में दिया गया है, के अनुसार होगा। सामान्य वार्ड में दो शय्याओं के बीच की दूरी डेढ़ (1½) मीटर से कम नहीं होनी चाहिए।

तालिका

प्रवेश क्षमता प्रति वर्ष	अन्तरंग रोगी विभाग में 1:1 छात्र शय्या अनुपात पर न्यूनतम शय्याओं की संख्या	गत एक कलैण्डर वर्ष के दौरान अंतरंग रोगी विभाग में प्रतिदिन रोगियों की न्यूनतम औसत संख्या (365 दिन) (40 प्रतिशत शय्या अधिभोग)	गत एक कलैण्डर वर्ष के दौरान बाह्य रोगी विभाग में प्रतिदिन रोगियों की न्यूनतम औसत संख्या (300 दिन) (1:2 छात्र-रोगी अनुपात)
60 छात्रों तक	60 शय्या	24	120
61 से 100 छात्र	100 शय्या	40	200

- (3) बाह्य रोगी विभाग एवं अन्तरंग रोगी विभाग के रोगियों की उपस्थिति के अभिलेख का रखरखाव:- कॉलेज एवं अस्पताल बाह्य रोगी विभाग एवं अन्तरंग रोगी विभाग के रोगियों का अभिलेख कम्प्यूटरीकृत केन्द्रीय पंजीकरण प्रणाली से रखरखाव करेगा तथा कॉलेज, विभागानुसार बहिरंग विभाग और अन्तरंग विभाग का अभिलेख, प्रयोगशाला और रेडियोलोजीकल जांच प्रतिवेदन, औषधि वितरण पंजिका, अंतरंग रोगी विभाग के रोगियों की आहार पंजिका, अस्पताल कर्मचारीवृन्द का ड्यूटी पंजिका, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र

इत्यादि विनियम के उप-विनियम (2) में उल्लिखित प्रतिमानों को पूर्ण करने हेतु एवं सिद्ध अस्पताल के भी कार्यशीलता की यथार्थता हेतु करेगा।

(4) स्थान आवश्यकता:- पूर्ण रूप से संचालित अस्पताल को वार्ड वाले बहिरंग एवं अन्तरंग रोगी विभाग के अतिरिक्त स्वागत, रोगी प्रतीक्षा क्षेत्र, औषधि कक्ष, मरहम पट्टी कक्ष, क्लीनिकल प्रयोगशाला, रेडियोलोजी अनुभाग, साईड फार्मसी, रसोई, सेवाकक्ष, चिकित्सा अभिलेख कक्ष, कारनूल थैरेपी अनुभाग, शल्य कक्ष, प्रसव कक्ष, भण्डार, स्त्री एवं पुरुष अलग-अलग वार्ड, चिकित्सकों नर्सों एवं अन्य कर्मचारियों हेतु ड्यूटी कक्ष के समावेश हेतु उपयुक्त क्षेत्रयुक्त होना चाहिए तथा संलग्न अस्पताल के निर्मित क्षेत्र की सुनिश्चितता अनुसूची-1 के अनुसार होगी।

(5) बाह्य रोगी विभाग:- अस्पताल में कम से कम निम्न 6 बाह्य रोगी विभाग होंगे:-

- (i) मरुतुवम (चिकित्सा)
- (ii) वर्मम, पुरमरुतुवम एवं सिरप्पुमरुतुवम (वर्मम उपचार, बाह्य उपचार तथा विशेष उपचार)
- (iii) सूल, मगलिर मरुतुवम (प्रसूति तथा स्त्रीरोग)
- (iv) अरुवई, तोल मरुतुवम (शल्य तथा त्वचाविज्ञान)
- (v) कुलन्दई मरुतुवम (बालरोग) तथा
- (vi) अवसर मरुतुवम (आपातकाल)

(6) अन्तरंग रोगी विभाग:- अस्पताल के अन्तरंग रोगी विभाग में पुरुष एवं महिला वार्ड अलग-अलग होंगे और शय्याओं का वितरण निम्न प्रकार होगा:-

क्रम संख्या	अन्तरंग रोगी विभाग	वितरण	60 शय्याएं	100 शय्याएं
1.	मरुतुवम (चिकित्सा)	30% शय्या	18	30
2.	वर्मम, पुरमरुतुवम एवं सिरप्पुमरुतुवम (वर्मम उपचार, बाह्य उपचार तथा विशेष उपचार)	25% शय्या	15	25
3.	सूल, मगलिर मरुतुवम (प्रसूति तथा स्त्रीरोग)	15% शय्या	9	15
4.	अरुवई, तोल मरुतुवम. (शल्य तथा त्वचाविज्ञान)	20% शय्या	12	20
5.	कुलन्दई मरुतुवम (बालरोग)	10% शय्या	6	10

69346/13-2

- (7) नोई नाडल सत्ताम सारंथा मरुतुवम्, नान्जु मरुतुवम् प्रयोगशालाएं (क्लिनिकल रोग निदान एवं जांच हेतु नैदानिक प्रयोगशाला): अस्पताल के बाह्य रोगी एवं अंतःरोगी विभाग से निर्दिष्ट किये गये रोगियों पर नैत्यक, रोगात्मक, जैव रासायनिक तथा रक्त संबंधी जांच एवं सिद्ध नैदानिक तकनीकों को कार्यान्वित करने हेतु अस्पताल में अनुसूची-I, अनुसूची-II, अनुसूची-IV, अनुसूची-V, अनुसूची-VII में यथा विनिर्दिष्ट उचित आधारभूत संरचना एवं जनशक्ति सहित एक नैदानिक प्रयोगशाला होगी।
- (8) अस्पताल के कर्मचारी: 60 शय्याओं वाले अस्पताल के लिए न्यूनतम स्टाफ की आवश्यकता अनुसूची-IV के अनुसार होगी एवं शय्याओं के बढ़ाने के अनुपात में स्टाफ की बढ़ोतरी भी करनी होगी।

8. कॉलेज के लिए आवश्यकताएं -

- (1) शिक्षक स्टाफ: अनुसूची-V में विनिर्दिष्ट प्रत्येक स्लैब हेतु मार्डन मेडिसिन (आधुनिक चिकित्सा) के आठ अंश कालिक शिक्षकों के अतिरिक्त 60 छात्रों तक की प्रवेश क्षमता हेतु नियमित आधार पर नियुक्त न्यूनतम 30 पूर्णकालिक शिक्षक तथा 61 से 100 तक की प्रवेश क्षमता हेतु न्यूनतम 45 पूर्णकालिक शिक्षक होंगे।
- (2) शिक्षकों की आयु: शिक्षकों की सेवा निवृत्ति की आयु केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या उस विशिष्ट संस्थान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पहले से लागू मानकों के अनुसार होगी तथा शिक्षकों का पात्रता के मानक पूर्ण करने वाले सेवा निवृत्त शिक्षकों को पूर्ण कालिक शिक्षक के रूप में 65 वर्ष की आयु तक पुनर्नियुक्त किया जा सकता है।
- (3) तकनीकी एवं अन्य स्टाफ की आवश्यकता: महाविद्यालय की विभिन्न इकाइयों तथा विभागों में तकनीकी तथा अन्य स्टाफ अनुसूची-VI में दिये गये विवरणानुसार होगा।

9. विविध आवश्यकताएं-

- (1) कार्यालय सहायता: अधिष्ठाता, चिकित्सा अधीक्षक तथा प्रत्येक विभाग को स्वतंत्र कम्प्यूटर एवं प्रिंटर सुविधा प्राप्त होगी।
- (2) कॉलेज परिषद्: (क) प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय अथवा चिकित्सा संस्था में एक कॉलेज परिषद् होगी जिसमें विभागों के अध्यक्ष सदस्य के रूप में तथा प्राचार्य या अधिष्ठाता अध्यक्ष के रूप में समाविष्ट हों।
(ख) पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण तैयार करने, अनुशासन पर बल देने तथा अन्य शैक्षणिक मामलों के लिए वर्ष में कम से कम चार बार परिषद् की बैठक की जायेगी।
(ग) परिषद् द्वारा संस्था में नियमित रूप से आवधिक अनुसंधान पुनरीक्षण के साथ-साथ अन्तरविभागीय बैठकें जैसे मुख्य दौरे, सांख्यिकीय बैठकें तथा नैदानिक बैठकें भी आयोजित की जायेगी।

- (3) **कॉलेज की वेबसाइट:** प्रत्येक कॉलेज अथवा संस्थान की उसकी अपनी वेबसाइट होगी जिस पर प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में अद्यतन किया गया निम्नलिखित विवरण उपलब्ध कराया जायेगा -
- (क) निदेशक अथवा अधिष्ठाता अथवा प्राचार्य अथवा चिकित्सा अधीक्षक का विवरण जिसमें उसका नाम, आयु, पंजीकरण संख्या, अर्हता, कार्यग्रहण की तारीख, दूरभाष या मोबाइल संख्या सहित उनका पूरा पता तथा स्टेट टूंक डायलिंग (एस.टी.डी.) कोड, फैंक्स तथा ई-मेल इत्यादि हों।
- (ख) फोटोग्राफ, पंजीकरण संख्या, जन्मतिथि, अर्हता, अनुभव, विभाग इत्यादि के साथ शिक्षण स्टाफ का विवरण।
- (ग) उनके अपने विभाग सहित कॉलेज का गैर शिक्षण स्टॉफ तथा चिकित्सालय स्टॉफ।
- (घ) स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों की स्वीकृत प्रवेश क्षमता का विवरण।
- (ङ) चालू एव गत वर्ष के लिए प्रवेश प्राप्त छात्रों की योग्यता एवं श्रेणी (स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर) के आधार पर सूची।
- (च) पिछले एक वर्ष के दौरान कोई शोध प्रकाशन।
- (छ) संस्था द्वारा आयोजित किन्हीं सतत चिकित्सा शिक्षा (सी.एम.ई) कार्यक्रम, सम्मेलन तथा/अथवा शैक्षणिक गतिविधियों का विवरण।
- (ज) छात्रों एवं संकाय द्वारा प्राप्त किये गये किसी पुरस्कार एवं उपलब्धि का विवरण।
- (झ) सम्बद्ध विश्वविद्यालय तथा इसके कुलपति तथा कुल सचिव का विवरण।
- (ञ) पिछले एक वर्ष की सभी परीक्षाओं का परिणाम।
- (ट) सभी पाठ्यक्रमों की मान्यता की ब्यौरेवार स्थिति।
- (ठ) चिकित्सालय में नैदानिक सामग्री का विवरण।
- (4) **बायोमेट्रिक उपस्थिति:** कॉलेज के शिक्षण, गैर शिक्षण स्टाफ तथा चिकित्सालय के स्टाफ हेतु वेबकैमरा सहित कम्प्यूटरीकृत उपस्थिति पद्धति पर आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति रखना वांछनीय है।

10. नए कॉलेज की चरण वार विशिष्ट आवश्यकताएं -

- (1) अधिनियम की धारा 13 क के प्रावधान के अन्तर्गत सिद्ध मरुथ्वा अरिगनर (बैचलर ऑफ सिद्ध मेडीसिन एण्ड सर्जरी) पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु अनुमति चाहने वाले सिद्ध कॉलेज को इस विनियम के उप-विनियम (2) से (5) में दिये गये चरणवार तरीके से आधारभूत संरचना तथा जनशक्ति को स्थापित करना होगा।
- (2) कॉलेज छात्रों के प्रथम बैच के प्रवेश से पूर्व निम्नलिखित को रखेगा--
- (क) आवेदन प्रस्तुत करते समय, कॉलेज के पास विनियम 7 के उपविनियम (2) में निर्दिष्ट वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता के अनुरूप शय्याओं की उचित संख्या शय्या अधिभोग एवं

- बाह्य रोगी विभाग की उपस्थिति रखने वाले एक वर्ष से कार्यात्मक सिद्ध चिकित्सालय के साथ एक पूर्णतः विकसित चिकित्सालय सहित एक भवन उस भूमि पर ही होना चाहिए ;
- (ख) प्रथम व्यवसायिक सत्र हेतु अनिवार्य अर्हता सहित विनियम 8 में उल्लिखित आवश्यक शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए तथा प्राध्यापक के अभाव में प्रवाचक की नियुक्ति समान संख्या में होनी चाहिए ;
- (ग) चिकित्सालय के प्रचालन हेतु मरुतुवम, वर्मम, पुरमरुतुवम एवं सिरप्पुमरुतुवम, सूल, मगलिर मरुतुवम, कुलन्दई मरुतुवम तथा अरुवई मरुतुवम में से प्रत्येक का कम से कम एक विशेषज्ञ चिकित्सक अथवा नैदानिक (क्लिनिकल) शिक्षक नियुक्त होना चाहिए।
- (घ) दो हजार पुस्तकों का एक पुस्तकालय जिसमें 60 प्रवेशो तक 50 व्यक्तियों तथा 61 से 100 प्रवेशो के लिए 80 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता हो तथा पर्याप्त स्टॉफ हो ;
- (ङ) प्रथम व्यावसायिक वर्ष के शिक्षण हेतु उचित रूप से फर्नीचरयुक्त एवं सुसज्जित दो व्याख्यान हॉल तथा शिक्षण विभाग तथा प्रयोगशालाएं तथा संग्रहालय अनिवार्य होंगे।
- (च) 60 सीट के लिए तथा 61 से 100 सीट की प्रवेश क्षमता के लिए दो हजार पांच सौ वर्गमीटर भूमि तथा चार हजार वर्गमीटर भूमि पर फैला एक वनौषधियों से युक्त उद्यान जिसमें कम से कम एक सौ प्रजातियों की औषधियों के पौधे लगे हों।
- (छ) मानको के अनुसार नियमित अथवा संविदा के आधार पर उद्देश्यार्थ स्वीकृत पदों पर पराचिकित्सा, सहायक तथा अन्य चिकित्सालय स्टॉफ का पचास प्रतिशत होना।
- (3) छात्रों के द्वितीय बैच के प्रवेश से कम से कम तीन माह पूर्व कॉलेज का परिदर्शन किया जायेगा तथा उस समय कॉलेज निम्नलिखित को रखेगा।
- (क) प्रथम एवं द्वितीय व्यवसायिक सत्र हेतु अनिवार्य अर्हता सहित विनियम 8 में उल्लिखित आवश्यक शिक्षक एवं गैर शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए तथा प्राध्यापक के अभाव में प्रवाचक की नियुक्ति समान संख्या में होनी चाहिए।
- (ख) कॉलेज के चिकित्सालय में कार्य करने हेतु मरुतुवम, वर्मम, पुरमरुतुवम एवं सिरप्पुमरुतुवम, सूल, मगलिर मरुतुवम, कुलन्दई मरुतुवम, अरुवई मरुतुवम विभागों में से प्रत्येक में कम से कम एक विशेषज्ञ चिकित्सक तथा एक नैदानिक (क्लिनिकल) शिक्षक।
- (ग) पांच हजार पुस्तकों का एक पुस्तकालय जिसमें 60 प्रवेशों तक के लिए 50 व्यक्तियों तथा 61 से 100 प्रवेशो के लिए 80 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता हों।
- (घ) प्रथम तथा द्वितीय व्यावसायिक वर्ष के शिक्षण हेतु उचित रूप से फर्नीचरयुक्त एवं सुसज्जित तीन व्याख्यान हॉल तथा शिक्षण विभाग तथा प्रयोगशालाएं तथा संग्रहालय अनिवार्य होंगे।
- (ङ) एक सौ पचास प्रजातियों के औषधीय पौधों से युक्त औषधीय उद्यान।
- (च) कॉलेज प्रयोगशालाएं तथा शिक्षण औषधशाला के लिए पूर्णतः विकसित भवन।

- (छ) महाविद्यालय के पास विनियम 7 के उपविनियम (2) में निर्दिष्ट वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता के अनुरूप शय्याओं की उचित संख्या शय्या अधिभोग एवं बाह्य रोगी विभाग की उपस्थिति रखने वाले एक कार्यात्मक सिद्ध चिकित्सालय के साथ एक पूर्णतः विकसित चिकित्सालय का भवन होना चाहिये।
- (ज) मानकों के अनुसार नियमित अथवा संविदा के आधार पर उद्देश्यार्थ स्वीकृत पदों पर पराचिकित्सा, सहायक तथा अन्य चिकित्सालय स्टाफ का 75 प्रतिशत।
- (झ) गुणपाङ्ग विभाग से जुड़ी शिक्षण औषधि निर्माण शाला एवं गुणवत्ता मापक प्रयोगशाला होगी जिसमें पाठ्यक्रम के अनुसार औषधि तैयार करने हेतु अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट न्यूनतम क्षेत्र तथा अनुसूची-VII के अनुसार उपकरण होंगे।
- (4) छात्रों के तृतीय बैच के प्रवेश से कम से कम तीन माह पूर्व महाविद्यालय का परिदर्शन किया जायेगा तथा उस समय महाविद्यालय निम्नलिखित को रखेगा-
- (क) प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय व्यावसायिक सत्र हेतु अनिवार्य अर्हता सहित विनियम 8 में उल्लिखित आवश्यक शिक्षक एवं गैर शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए तथा प्राध्यापक के अभाव में प्रवाचक की नियुक्ति समान संख्या में होनी चाहिए।
- (ख) कॉलेज के चिकित्सालय के प्रचालन हेतु मरुतुवम, वर्मम, पुरमरुतुवम एवं सिरप्पुमरुतुवम, सूल, मगलिर मरुतुवम, कुलन्दई मरुतुवम, तथा अरुवई मरुतुवम विभागों में से प्रत्येक में कम से कम एक विशेषज्ञ चिकित्सक अथवा नैदानिक (क्लिनिकल) शिक्षक नियुक्त होना चाहिए।
- (ग) पांच हजार पुस्तकों का एक पुस्तकालय जिसमें साठ प्रवेशों के लिए पचास छात्रों के बैठने की क्षमता तथा इक्सठ से सौ प्रवेशों के लिए अस्सी व्यक्तियों के बैठने की क्षमता तथा पर्याप्त स्टॉफ हों।
- (घ) प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय व्यावसायिक वर्ष के शिक्षण हेतु उचित रूप से फर्नीचरयुक्त एवं सुसज्जित तीन व्याख्यान हॉल, शिक्षण विभाग, प्रयोगशालाएं तथा संग्रहालय अनिवार्य होंगे।
- (ङ) दो सौ पचास प्रजातियों के औषधीय पौधों से युक्त औषधीय उद्यान।
- (च) कॉलेज प्रयोगशालाएं तथा शिक्षण औषधशाला के लिए पूर्णतः विकसित इमारत।
- (छ) महाविद्यालय के पास विनियम 7 के उपविनियम (2) में निर्दिष्ट वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता के अनुरूप शय्याओं की उचित संख्या, शय्या अधिभोग एवं बाह्य रोगी विभाग की उपस्थिति रखने वाले एक कार्यात्मक सिद्ध चिकित्सालय के साथ एक पूर्णतः विकसित चिकित्सालय का भवन होना चाहिये।
- (ज) मानकों के अनुसार नियमित अथवा संविदा के आधार पर उद्देश्यार्थ स्वीकृत पदों पर पराचिकित्सा, सहायक तथा अन्य चिकित्सालय स्टाफ का 75 प्रतिशत।

(झ) गुणपाइम विभाग से जुड़ी शिक्षण औषधि निर्माण शाला एवं गुणवक्ता मापक प्रयोगशाला होगी जिसमें पाठयक्रम के अनुसार औषधि तैयार करने हेतु अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट न्यूनतम क्षेत्र तथा अनुसूची-VII के अनुसार उपकरण होंगे।

(5) छात्रों के चतुर्थ बैच के प्रवेश से पूर्व, कॉलेज निम्नलिखित को रखेगा-

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ (अंतिम) व्यवसायिक सत्र हेतु अनिवार्य अर्हता सहित विनियम 8 में उल्लिखित आवश्यक शिक्षक एवं गैर शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए।

(ख) विशिष्ट मानकों के अनुसार कॉलेज, चिकित्सालय तथा अन्य इकाईयों की सम्पूर्ण आधारभूत संरचना तथा जनशक्ति की अपेक्षाएं।

(ग) सात हजार पांच सौ पुस्तकों का पुस्तकालय जिसमें साठ प्रवेशों तक के लिए 50 व्यक्तियों तथा इकसठ से सौ तक प्रवेशों हेतु 80 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता तथा पर्याप्त स्टाफ हो।

(घ) महाविद्यालय के पास विनियम 7 के उपविनियम (2) में निर्दिष्ट वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता के अनुरूप (शय्याओं की उचित संख्या) शय्या अधिभोग एवं बाह्य रोगी विभाग की उपस्थिति रखने वाले एक कार्यात्मक सिद्ध चिकित्सालय के साथ एक पूर्णतः विकसित चिकित्सालय का भवन होना चाहिये।

(ङ) दो सौ पचास प्रजातियों के औषधीय पौधों से युक्त औषधीय उद्यान।

(च) पूर्णतः क्रियात्मक प्रयोगशालाएं तथा औषध परीक्षण सुविधाओं सहित औषधशाला तथा

(छ) चिकित्सालय में औषधियों, पराचिकित्सा स्टॉफ, चिकित्सक तथा आपातकाल प्रबन्धन के साथ चौबीस घंटे की चिकित्सा सेवाओं की निश्चित उपलब्धता।

(6) किसी चिकित्सा कॉलेज की स्थापना करने तथा छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति प्रारम्भ में एक वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जायेगी तथा अनुमति की अवधि वार्षिक आधार पर विनियम 10 के अन्तर्गत उल्लिखित वार्षिक लक्ष्यों की उपलब्धि की जांच की शर्त पर बढ़ायी जायेगी तथा यह कॉलेज का उत्तरदायित्व होगा कि वह अनुमति की अवधि बढ़ाये जाने के उद्देश्य हेतु प्रारम्भिक अनुमति की अवधि समाप्त होने से छः माह पूर्व परिषद् में आवेदन करे।

(7) अनुमति की अवधि बढ़ाये जाने की यह प्रक्रिया प्रथम बैच के समापन हेतु चिकित्सा कॉलेज की स्थापना के पूर्ण होने तक जारी रहेगी।

11. उपकरण, यन्त्र-समूह इत्यादि की सूची- छात्रों के लिए शिक्षण तथा प्रशिक्षण सामग्री के उचित प्रावधान सुनिश्चित करने हेतु, कॉलेज जैसा कि अनुसूची-VII के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट है, शिक्षण विभाग, चिकित्सालय, प्रयोगशालाएं तथा शवच्छेदन कक्ष, पुस्तकालय, औषधशाला तथा अन्य इकाईयों में अपेक्षित पर्याप्त संख्या में उपकरण यन्त्र-समूह इत्यादि का न्यूनतम 90 प्रतिशत अपने अधिकार में रखेगा।

अनुसूची-I

(विनियम 4 का उपविनियम(4), विनियम 5 का उप विनियम (3), विनियम 6, विनियम 7 का उप विनियम (4) एवं (7) देखें)

सिद्ध महाविद्यालय के संलग्न चिकित्सालय की अपेक्षाएं

क्रम संख्या	विवरण	निर्मित क्षेत्र (वर्गमीटर में)	
		60 छात्रों की क्षमता तक	61 से 100 छात्रों की क्षमता तक
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	चिकित्सालय के भवन का कुल निर्मित क्षेत्र	2,000	3500
II.	चिकित्सालय प्रशासनिक खण्ड	100	150
1.	अधीक्षक कक्ष		
2.	उप अधीक्षक कक्ष		
3.	चिकित्सा अधिकारी का कक्ष (दो आवासीय चिकित्सा अधिकारी अथवा आवासीय शल्य अधिकारी हेतु)		
4.	मैट्रन कक्ष		
5.	सहायक मैट्रन कक्ष (दो के लिए)		
6.	स्वागत पटल तथा पंजीयन		
III.	बाह्य रोगी विभाग (ओ.पी.डी.)	300	500
1.	मरुतुवम बाह्य रोगी विभाग शौचालय एवं वाशबेसिन सहित		
2.	वमर्म, पुरमरुतुवम एवं सिरप्पुमरुतुवम बाह्य रोगी विभाग योग प्रदर्शित क्षेत्र, शौचालय तथा वाश बेसिन सहित		
3.	सूल, मगलिर मरुतुवम बाह्य रोगी विभाग शौचालय तथा परीक्षा कक्ष सहित		
4.	अरुवई, तोल मरुतुवम बाह्य रोगी विभाग शौचालय तथा प्रसाधन कक्ष सहित		
5.	कुलन्दई मरुतुवम बाह्य रोगी विभाग शौचालय तथा प्रसाधन कक्ष सहित		
6.	अवसर मरुतुवम (आत्ययिक) विभाग शौचालय तथा वाश बेसिन सहित		
7.	मरहम पट्टी एवं प्राथमिक चिकित्सा कक्ष, कारनूल उपचार कक्ष		
8.	औषधालय		
9.	रोगियों के लिए प्रतीक्षा स्थल		
10.	भण्डार		
11.	रोगियों के लिये पुरुष एवं महिला शौचालय		
IV	अन्तरंग रोगी विभाग (आई.पी.डी.)	1000	1850

1.	मरुतुवम पुरुष वार्ड संलग्न शौचालय एवं स्नानगृह सहित		
2.	मरुतुवम महिला वार्ड संलग्न शौचालय एवं स्नानगृह सहित		
3.	वर्मम पुरमरुतुवम एवं सिरप्पुरमरुतुवम पुरुष वार्ड संलग्न शौचालय एवं स्नानगृह सहित		
4.	वर्मम महिला वार्ड संलग्न शौचालय एवं स्नानगृह सहित		
5.	सूल मगलिर मरुतुवम वार्ड संलग्न शौचालय एवं स्नानगृह सहित		
6.	अरुवई, तोल मरुतुवम पुरुष वार्ड संलग्न शौचालय एवं स्नानगृह सहित		
7.	अरुवई, तोल मरुतुवम महिला वार्ड संलग्न शौचालय एवं स्नानगृह सहित		
8.	कुलन्दई मरुतुवम वार्ड संलग्न शौचालय एवं स्नानगृह सहित		
9.	प्रत्येक विभाग के लिये एक चिकित्सक ड्यूटी कक्ष संलग्न शौचालय एवं स्नानगृह सहित		
10.	प्रत्येक वार्ड में एक परिचर्या स्टॉफ ड्यूटी कक्ष संलग्न शौचालय एवं स्नानगृह सहित		
11.	लीनन इत्यादि के लिये भण्डार गृह		
V.	शल्यकर्म कक्ष खण्ड	150	250
1.	लघु शल्यकर्म कक्ष		
2.	संलग्न शौचालय एवं स्नानगृह सहित प्रसूति कक्ष		
3.	नवजात शिशु अनुरक्षण कक्ष		
4.	केन्द्रीय जीवाणुनाशन/आटोक्लेव इकाई		
5.	स्क्रब कक्ष		
6.	दो पुनःश्चेतना कक्ष		
7.	चिकित्सक ड्यूटी कक्ष संलग्न शौचालय एवं स्नानगृह सहित		
8.	प्रशिक्षु/गृह अधिकारी/आवासीय चिकित्सकों का कक्ष संलग्न शौचालय तथा स्नानगृह सहित		
9.	परिचर्या कक्ष संलग्न शौचालय तथा स्नानगृह सहित		
VI	वर्मम पुरमरुतुवम खण्ड	175	300
1.	1.वर्मम अराई (पुरुष)		
	2.वर्मम अराई (महिला)		
	3.थोक्कानम अराई (पुरुष)		
	4.थोक्कानम अराई (महिला)		
	5.नीखी कुलियल अराई (पुरुष)		
	6.नीखी कुलियल अराई (महिला)		
	7.पीचू अराई (पुरुष)		
	8.पीचू अराई (महिला)		
	9.अत्ताई विदुथल चुट्टीगई इत्यादि		
	10.कारनूल उपचार कक्ष		
2.	वर्मम, पुरमरुतुवम चिकित्सक अथवा काय चिकित्सक कक्ष		

3.	भण्डार गृह		
4.	चार संलग्न प्रसाधन स्नान कक्ष पुरुषों के लिये तथा चार महिलाओं के लिये जिनमें से प्रत्येक में वाशबेसिन तथा गीजर की सुविधा हों। वार्डों के प्रसाधन कक्षों के अतिरिक्त होंगे।		
VII	केन्द्रीय प्रयोगशाला: विकृति विज्ञान, जैव रसायन तथा सूक्ष्म जीव-विज्ञान हेतु पृथक विभागों सहित सौ वर्ग मीटर का सुसज्जित तथा विस्तृत क्षेत्र तथा मूत्र नमूने एकत्र करने हेतु यहां संलग्न शौचालय होंगे तथा अन्य नैदानिक सुविधाएं जैसे ई.सी.जी. भी उपलब्ध कराई जायेंगी।	100	150
VIII	विकिरण-चिकित्सा-विज्ञान अथवा सोनोग्राफी अनुभाग:- एक्स-रे कक्ष सहित विकिरणविज्ञानी कक्ष डार्क रूम, फिल्म ड्राइंग कक्ष, भण्डार कक्ष, अल्ट्रा सोनोग्राफी कक्ष, रोगी प्रतीक्षा एवं प्रसाधन कक्ष, स्वागत-पटल/पंजीयन /रिपोर्ट कक्ष।	50	100
IX	चिकित्सालय की पाकशाला तथा कैन्टीन:	100	150
X	भण्डार गृह	25	50
	कुल	2,000	3,500

टिप्पणी:

1. उक्त निर्दिष्ट विभिन्न घटकों के बीच प्रविभाजित क्षेत्र $\pm 20\%$ में भिन्न हो सकता है परन्तु संलग्न चिकित्सालय का कुल क्षेत्र विनियम 5 पर उल्लिखित क्षेत्र के अनुसार होना चाहिए।
2. इक्सट से सौ छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता के एक सिद्ध कॉलेज के संलग्न अस्पताल की निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता का विघटन विनियम 5 पर उल्लिखित क्षेत्र के अनुसार क्षेत्र की कुल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उसके अनुरूप बढ़ाया जायेगा।
3. महाविद्यालय हेतु प्रत्येक बाह्य रोगी विभाग के साथ संलग्न शौचालय की आवश्यकता इस अधिसूचना की तिथि के पश्चात् स्थापित हुए महाविद्यालयों पर लागू होगी।

अनुसूची-II

[देखें विनियम 4 का उप विनियम (4), विनियम 5 का उप-विनियम (3), विनियम 6 एवं विनियम 7 का उप-विनियम (7)]

सिद्ध कॉलेज की आवश्यकताएं

क्रम सं.	विवरण	निर्मित क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	
		60 छात्रों की प्रवेश क्षमता तक	61 से 100 छात्रों की प्रवेश क्षमता तक
(1)	(2)	(3)	(4)
	कॉलेज की इमारत का कुल निर्मित क्षेत्र	2,000	4,000
1.	प्रशासनिक अनुभाग:- कॉलेज के प्रशासनिक अनुभाग में प्राचार्य कक्ष, निजी सहायक कक्ष, स्वागत पटल, आगन्तुक विश्राम कक्ष, स्टॉफ समिति कक्ष, लिपिक कक्ष, लेखा अनुभाग, अभिलेख कक्ष, केन्द्रीय भण्डार एवं पुरुष एवं महिलाओं के लिए अलग शौचालय ।	150	300
2.	व्याख्यान हाल: कॉलेज में कम से कम पॉच व्याख्यान हॉल होंगे जहाँ साठ सीटों की क्षमता के लिए प्रत्येक हॉल अस्सी वर्ग मीटर क्षेत्र से कम का नहीं हो एवं इकसठ से सौ सीटों की क्षमता के लिए हॉल 160 वर्ग मीटर क्षेत्र के होंगे, जिनमें बिजली आपूर्ति, श्रव्य-दृश्य शिक्षण सहायक यंत्र, पंखे/कूलर तथा अधिमानतः थियेटर के प्रकार का आरामदायक रूप से बैठने का प्रबन्ध होगा। प्रत्येक तल पर बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक शौचालय का निर्माण कराया जायेगा।	400	800
3.	विचार गोष्ठी/सम्मेलन/परीक्षा हॉल: बैठकों, विचार गोष्ठियों, सम्मेलनों, संगोष्ठी, परीक्षा, मंत्रणा इत्यादि के लिए कॉलेज के परिसर में एक वृहत हॉल उपलब्ध होगा जिसमें चार सौ से पांच सौ व्यक्तियों के बैठने की क्षमता होगी। हॉल में बिजली तथा बैठने का प्रबन्ध तथा श्रव्य-दृश्य पद्धति की पर्याप्त सुविधाएं होंगी।	150	300
4.	केन्द्रीय पुस्तकालय: केन्द्रीय पुस्तकालय में साठ की प्रवेश क्षमता तक कम से कम पचास व्यक्तियों तथा इकसठ से सौ की प्रवेश क्षमता तक अस्सी व्यक्तियों के बैठने की क्षमता, शैल्फ अथवा अल्मारियों की	100	200

	पर्याप्त संख्या, स्टॉक रखने हेतु पर्याप्त स्थान, शिक्षकों के लिए पृथक वाचनालय, पुस्तकालयाध्यक्ष का कक्ष, प्रिन्टर एवं इन्टरनेट की सुविधा सहित फोटोकॉपीअर अथवा विडियो रूम कम्प्यूटर होगा। पुस्तकालय में प्रकाश का उचित प्रबन्ध, पंखे/कूलर, पेय जल का प्रबन्ध तथा शौचालय सुविधाएं होंगी। छात्रों के प्रथम प्रवेश के समय पुस्तकालय में सिद्ध, आधुनिक चिकित्सा तथा समवर्गी विज्ञान के विभिन्न शीर्षकों की दो हजार पांच सौ पुस्तकें होंगी। छात्रों के द्वितीय तथा तृतीय बैचों के प्रवेश से पूर्व पुस्तकों की संख्या पांच हजार तक तथा छात्रों के चतुर्थ बैच के प्रवेश के पूर्व सात हजार पांच सौ तक बढ़ाई जायेंगी।		
5.	शिक्षण विभाग: पन्द्रह शिक्षण विभाग होंगे जिनमें से प्रत्येक के साथ शिक्षकों के लिए कक्ष, एक छोटा विभागीय पुस्तकालय, एक छोटा कार्यालय, गैर शिक्षण स्टॉफ हेतु कार्य स्थान तथा विशिष्ट विभाग की आवश्यकतानुसार एक संग्रहालय अथवा प्रयोगशाला अथवा शवच्छेदन हॉल अथवा शिक्षकीय कक्ष ।	कुल 1200 वर्गमीटर तथा विघटन निम्नवत् होगा:	कुल 2400 वर्गमीटर तथा विघटन निम्नवत् होगा:
(i)	विभाग के आधार पर क्षेत्र की आवश्यकता निम्नवत् होगी:- तोटाकिएम आराईचियुम सिद्ध मरुत्तुव वरलारम विभाग तथा इसके अतिरिक्त विभागीय पुस्तकालय सह शिक्षकीय कक्ष	50	100
(ii)	तमिल/अंग्रेजी विभाग तथा इसके अतिरिक्त विभागीय पुस्तकालय सह शिक्षकीय कक्ष	50	100
(iii)	उड़ल कूरुगल विभाग, पर्याप्त लॉकरों तथा वास-बेसिन सहित छात्रों के लिए एक हवादार शवच्छेदन हॉल, चार शव हेतु भण्डारण टैंक अथवा प्रशीतित (फ्रीजर) सहित शव का संलेपन करने हेतु एक कक्ष तथा वैकल्पिक माइक्रो ऐनाटमी प्रयोगशाला सहित उड़ल कूरुगल (ऐनाटमी) संग्रहालय;	100	200
(iv)	उड़ल तल्लुवम विभाग तथा इसके अतिरिक्त जैव रसायन परीक्षण हेतु वैकल्पिक सुविधा सहित उड़ल तल्लुवम (फीजियोलॉजी) प्रयोगशाला;	100	200
(v)	मरुत्तुव तावर इयल विभाग तथा इसके अतिरिक्त वनस्पति-संग्रहालय सह मरुत्तुव तावर इयल संग्रहालय तथा फार्माकोग्नोसी तथा फार्माक्लॉजी प्रयोगशालाएं;	100	200
(vi)	गुणपाड़म विभाग तथा इसके अतिरिक्त गुणपाड़म प्रयोगशाला एवं संग्रहालय; औषधशाला की औषध	75	150

	परीक्षण प्रयोगशाला भी शिक्षण हेतु प्रयोग की जायेगी;		
(vii)	नोई नाडल विभाग तथा इसके अतिरिक्त नोई नाडल (पैथोलॉजी) प्रयोगशाला;	75	150
(viii)	या तो कॉलेज में अथवा अस्पताल में वर्मम, पुरमरुत्तुवम विभाग तथा इसके अतिरिक्त योग हॉल;	50	100
(ix)	सट्टम सारन्द मरुत्तुवमुम नंजु मरुत्तुवम विभाग तथा इसके अतिरिक्त संग्रहालय सह शिक्षकीय कक्ष;	50	100
(x)	मरुत्तुवम विभाग तथा शिक्षकीय कक्ष;	50	100
(xi)	कुलन्दई मरुत्तुवम विभाग तथा शिक्षकीय कक्ष;	50	100
(xii)	अरुवई, तोल मरुत्तुवम विभाग तथा इसके अतिरिक्त संग्रहालय सह शिक्षकीय कक्ष तथा प्रयोगात्मक सर्जरी प्रयोगशाला;	75	150
(xiii)	नोई अनुगा विधि विभाग तथा इसके अतिरिक्त संग्रहालय व शिक्षकीय कक्ष; तथा	50	100
(xiv)	सूल, मगलिर मरुत्तुवम विभाग तथा शिक्षकीय कक्ष ; तथा	50	100
(xv)	उयिर वेदियियल (जीव रसायन) विभाग तथा इसके अतिरिक्त शिक्षकीय कक्ष तथा जीव रसायन प्रयोगशाला	75	150
	* टिप्पणी- सभी प्रयोगशालाओं की कार्य करने की मेजें कठोर पत्थर अथवा स्टेनलेस स्टील की होनी चाहिये तथा शेल्क तथा वाशबेसिन में ताजे पानी के नल की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।		
7.	शिक्षण औषधशाला तथा औषधि गुणवत्ता-परीक्षण प्रयोगशाला: कॉलेज में विभिन्न प्रकार की सिद्ध की औषधियां जैसे चूरणम, मात्तिरई, मेझुगु, रसायनम इत्यादि तैयार करने हेतु उचित प्रशिक्षण सुविधाओं सहित एक शिक्षण औषधशाला, एक कच्ची-औषध का भण्डारगृह तथा अंतरंग - औषध एकीकरण होगा।	100	200
8.	सामान्य कक्ष: बैठने के पर्याप्त प्रबन्ध तथा स्थान सहित बालक तथा बालिकाओं हेतु पृथक-पृथक सामान्य कक्ष उपलब्ध होंगे।	50	100
9.	भोजनालय: कॉलेज परिसर में लगभग सौ व्यक्तियों के बैठने के प्रबन्ध सहित कैन्टीन की सुविधा उपलब्ध होगी।	50	100
	कुल	2,000	4,000

टिप्पणी:

1. उक्त निर्दिष्ट विभिन्न घटकों के बीच प्रविभाजित क्षेत्र 20% न्यूनधिक में भिन्न हो सकता है परन्तु एक सिद्ध कॉलेज का कुल क्षेत्र विनियम 5 पर उल्लिखित क्षेत्र के अनुसार होना चाहिए।

अनुसूची-III

[विनियम 5 का उप-विनियम (5), विनियम 6 देखें]

एक सिद्ध कॉलेज की समवर्गी आधारभूत संरचना की आवश्यकताएं

क्रम सं.	विवरण	क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	
		60 छात्रों तक	61 से 100 छात्र
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	वनौषधि उद्यान: 250 प्रजातियों के औषधीय पौधों तथा पच्चीस से पचास वर्गमीटर क्षेत्र का एक प्रदर्शन कक्ष तथा आवश्यक उपकरणों सहित भलीभाँति विकसित एक औषधीय उद्यान कॉलेज में विद्यमान होगा।	2500	4000

टिप्पणी:

1. उक्त निर्दिष्ट क्षेत्र 20% न्यूनाधिक भिन्न हो सकता है परन्तु एक सिद्ध महाविद्यालय का कुल क्षेत्र विनियम 4 पर विनिर्दिष्ट क्षेत्र के अनुसार होना चाहिए।

693 4/13-5

अनुसूची-IV

[विनियम 7 का उप-विनियम (7) तथा विनियम 7 का उप-विनियम (8) देखें]

सिद्ध कॉलेज चिकित्सालय के स्टाफ की आवश्यकताएं

क्रम संख्या (1)	पद (2)	आवश्यकता (3)
1.	चिकित्सालय अधीक्षक	1. चिकित्सालय अधीक्षक के पद हेतु पदधारी प्राध्यापक की अर्हता से कम का नहीं होगा। 2. प्राचार्य अथवा अधिष्ठाता पदने चिकित्सालय अधीक्षक के रूप में कार्य कर सकेंगे। तथापि यदि यहाँ चिकित्सालय अधीक्षक का पद है तो वह अस्तित्व में रहेगा।
2.	उप चिकित्सा अधीक्षक	1. सिद्ध चिकित्सा में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर उपाधि। 2. शिक्षण स्टाफ के अतिरिक्त नैदानिक विषय विशेष में स्नातकोत्तर उपाधि सहित पूर्ण कालिक नियमित पदधारी।
3.	परामर्शदाता	नैदानिक विभाग के शिक्षक
4.	आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी	2
5.	आवासीय चिकित्सा अधिकारी/आवासीय शल्य चिकित्सा अधिकारी (आर.एम.ओ. आर.एस.ओ.)	4 (मरुत्तुवम, सूल, मगलिर मरुत्तुवम, कुलन्दई मरुत्तुवम एवं अरुवई मरुत्तुवम में से प्रत्येक में एक)
6.	मैट्रन या परिचर्या अधीक्षक	1
7.	अंतः रोगी विभाग हेतु स्टाफ परिचारिकाएं	प्रति 10 शय्याओं के लिए 1
8.	वार्ड अनुकर्मी अथवा आया	प्रति 20 शय्याओं के लिए 1
9.	भैषजज्ञ (फार्मासिस्ट)	2
10.	ड्रेसर	2
11.	भण्डारपाल	1
12.	कार्यालय स्टाफ (पंजीयन, अभिलेख अनुरक्षण, डाटा एन्ट्री इत्यादि)	2
13.	डार्क रूम परिचर	1
14.	शल्य कक्ष परिचर	1
आधुनिक चिकित्सा स्टाफ		
15.	चिकित्सा विशेषज्ञ	1 अंशकालिक/संविदा पर
16.	शल्य विशेषज्ञ	1 अंशकालिक/संविदा पर
17.	प्रसूति तथा स्त्रीरोग विज्ञानी	1 अंशकालिक/संविदा पर
18.	विकृतिविज्ञानी	1 अंशकालिक/संविदा पर
19.	संज्ञाहरण विज्ञानी	1 अंशकालिक/संविदा पर

20.	नेत्र विज्ञानी	1 अंशकालिक/संविदा पर
21.	बाल (रोग) चिकित्सक	1 अंशकालिक/संविदा पर
22.	विकिरणविज्ञानी	1 (संविदा पर एलोपैथिक विकिरण विज्ञान में स्नातकोत्तर)
23.	दंत चिकित्सक	1 अंशकालिक/संविदा पर
24.	एक्स-रे तकनीशियन/ विकिरण चित्रक	1
अन्तः रोगी विभाग तथा बाह्य रोगी विभाग हेतु वर्मम, पुरमरूत्तवम एवं सिरप्पु चिकित्सा विज्ञान अनुभाग के लिए स्टाफ		
25.	वर्मम, पुरमरूत्तवम एवं सिरप्पु विशेषज्ञ	वर्मम, पुरमरूत्तवम एवं सिरप्पु शिक्षण विभाग के शिक्षक
26.	गृह अधिकारी अथवा नैदानिक रजिस्ट्रार अथवा वरिष्ठ आवासीय चिकित्सक (सिद्ध)	1
27.	वर्मम, पुरमरूत्तवम एवं सिरप्पु के लिए परिचारिका	2 (1 पुरुष तथा 1 महिला) (क्रम संख्या 7 पर निर्दिष्ट परिचारिकाओं के अतिरिक्त)
28.	वर्मम, पुरमरूत्तवम सहायक	2 पुरुष तथा 2 महिला
29.	योग शिक्षक/वर्मम विशेषज्ञ/अस्थि स्थापक	1 (वर्मम, पुरमरूत्तवम तथा सिरप्पु मरूत्तुवम विभाग से)
शल्यकर्म कक्ष एवं कारनूल चिकित्सा-विज्ञान अनुभाग का स्टाफ		
30.	अरूवई मरूत्तुवम एवं कारनूल चिकित्सा-विज्ञान विशेषज्ञ	अरूवई, तोल मरूत्तुवम विभाग के शिक्षक
31.	शल्यकर्म कक्ष परिचर	1
32.	ड्रेसर	1
33.	परिचारिका	1, ये परिचारिकाएं क्रम संख्या 7 पर निर्दिष्ट परिचारिकाओं के अतिरिक्त होंगी।
प्रसव कक्ष		
34.	सूल, मगलिर मरूत्तुवम विशेषज्ञ	सूल, मगलिर मरूत्तवम विभाग के शिक्षक
35.	मिडवाइफ	1
नैदानिक प्रयोगशाला		
36.	प्रयोगशाला तकनीशियन	2
37.	चपरासी अथवा परिचर	1
शिक्षण औषधशाला तथा गुणवत्ता-परीक्षण प्रयोगशाला		
38.	औषधशाला अधीक्षक	1 (गुणपाइम विभाग का शिक्षक)
39.	चपरासी अथवा परिचर	1
40.	कामगार	2
41.	विश्लेषण रसायनज्ञ (अंशकालिक)	1 (विभाग में गैर शिक्षण स्टाफ के अन्तर्गत उपलब्ध प्रयोगशाला तकनीशियन)
42.	भेषज अभिज्ञानी (अंशकालिक)	1 (विभाग में गैर शिक्षण स्टाफ के अन्तर्गत उपलब्ध प्रयोगशाला तकनीशियन)

टिप्पणी:

1. साठ से अधिक शैय्याओं वाले चिकित्सालय हेतु आवासीय चिकित्सा अधिकारी, आवासीय शल्य चिकित्सा अधिकारी, सहायक मेट्रन तथा भेषजज्ञ के रूप में प्रत्येक के लिए दो पदधारियों की अतिरिक्त आवश्यकता होगी।
2. चिकित्सालय में सुरक्षा, सिविल तथा विद्युत, सफाई का प्रबन्ध, दैनिक आहार तथा केन्टीन, धुलाई-घर तथा अपशिष्ट भस्मीकरण तथा फेकने या नष्ट करने की सुविधाओं के पर्याप्त प्रावधान होंगे।
3. अनिवार्य ड्यूटी स्टाफ तथा सेवाएं चौबीस घंटे उपलब्ध होंगी।
4. गैर तकनीकी स्टाफ जैसे चपरासी, परिचर, सफाईवाला, सुरक्षा कर्मचारी, धोबी, माली तथा रसोईया इत्यादि की सेवाएं बहिःस्रोतन द्वारा प्राप्त की जा सकती है।

अनुसूची-V

[विनियम 3 का उप-विनियम (3), विनियम 6, विनियम 7 का उप-विनियम (7) तथा विनियम 8 का उपविनियम (1) देखें]

सिद्ध कॉलेज शिक्षण स्टाॅफ का विवरण

क्र. सं. (1)	शिक्षण विभाग (2)	शिक्षण स्टाॅफ की आवश्यकता					
		60 छात्रों तक (3)			61 से 100 छात्रों तक (4)		
		प्राध्यापक	प्रवाचक	व्याख्याता	प्राध्यापक	प्रवाचक	व्याख्याता
(1)	थोत्राकिरम आराईचियुम सिद्ध मरुत्तुव वरलाररुम (सिद्ध चिकित्सा के मूलभूत सिद्धान्त तथा इतिहास)	1 अथवा 1		1	1	1	1
(2)	उड़ल कूरुगल (ऐनाटामी)	1 अथवा 1		1	1	1	1
(3)	उड़ल तलुवम (फीजियोलॉजी)	1 अथवा 1		1	1	1	1
(4)	गुणपाड़म-मूलिगई, थायू-जीवा वागुप्पु (मेटेरिया मेडिका)	1	1*	1	1	1*	1+1*
(5)	नोई नाडल तथा नोई मूधल नाडल (पैथोलॉजी)	1 अथवा 1		1	1	1	1
(6)	सट्टम सारन्य मरुथुवमुम नन्जु मरुथुवमुम (फोरेन्सिक मेडिसिन तथा टैक्सिकोलॉजी)	1 अथवा 1		1	1	1	1
(7)	सूल एवं मगलिर मरुत्तुवम (ऑब्सेटेटिक्स एवं गाइनेक्लॉजी)	1 अथवा 1		1	1	1	1
(8)	मरुत्तुवम (मेडीसिन)	1 अथवा 1		1	1	1	1
(9)	अरुवई, तोल मरुत्तुवम, (सर्जरी)	1 अथवा 1		1	1	1	1
(10)	कुलन्दई मरुत्तुवम (पीडिएटिक्स)	1 अथवा 1		1	1	1	1
(11)	वर्मम, पुरमरुत्तुवम एवं सिरप्पु मरुत्तुवम (वर्मम चिकित्सा, बाह्य चिकित्सा तथा विशेष मेडीसिन)	1 अथवा 1		2	1	1	2

643 9/13-6

(12)	मरुत्तुव तावर इयल (मेडीसिनल बोट्नी एवं फार्माकोग्नोसी)	1 अथवा 1	1	1	1	1
(13)	उयिर वेधीयियल (बॉयो कैमिस्ट्री)	--	1	--	--	2
(14)	नोई अनुगा विधि (हाईजीन) जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी एवं मेडिकल स्टेटीस्टिकल सम्मिलित हैं	1 अथवा 1	1	1	1	1
(15)	तमिल/अंग्रेजी	1 अथवा 1	--	1	1	--
		15	15	14	14	17
	कुल		30		45	

*विशिषत: उच्च प्रेणि की औषध कल्पना हेतु तादु एवं जीवम प्रयोग के लिए

टिप्पणी:

1. उक्त के अतिरिक्त अनुसूची -IV (क्रम संख्या 14 से 22) पर यथा निर्दिष्ट वर्मम, पुरमरुत्तवम विभाग में एक वर्मम विशेष, एक पारम्परिक अस्थि स्थापक, एक योग शिक्षक तथा आधुनिक चिकित्सा के आठ परामर्शदाता शिक्षण हेतु अंशकालिक आधार पर विनियोजित किये जायेंगे।
2. 60 छात्रों की प्रवेश क्षमता तक शिक्षकों की कमी प्रत्येक विभाग में कम से कम एक शिक्षक की उपलब्धता सहित कुल आवश्यकता के 10% से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी। उच्च संकाय की कुल संख्या कम से कम 11 विभागों में वितरित 12 प्राध्यापक/प्रवाचक से कम नहीं होगी। प्रवेश लेने की सशर्त अनुमति प्राप्त करने हेतु यह छूट मात्र शैक्षिक सत्र 2013-14 तथा 2014-15 के लिए है तथा इसके पश्चात् उपलब्ध नहीं होगी। उदाहरणस्वरूप 60 सीटों की प्रवेश क्षमता रखने वाले कॉलेज में कम से कम कुल 27 संकाय होंगे जिसमें से कम से कम 12 प्राध्यापक/प्रवाचक कम से कम 11 विभागों से सम्बन्धित होंगे।
3. 61 से 100 तक प्रवेश क्षमता हेतु कुल शिक्षकों की कमी कुल आवश्यकता के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ाई जायगी तथा उच्च संकाय की कमी प्रत्येक विभाग में कम से कम एक उच्च संकाय तथा एक व्याख्याता तथा तमिल विभाग में 1 उच्च संकाय तथा जैव-रसायन विभाग में एक व्याख्याता की उपलब्धता सहित कुल शिक्षकों के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ाई जायगी। उच्च संकाय की कुल संख्या 19 से कम नहीं होगी। प्रवेश लेने की सशर्त अनुमति प्राप्त करने हेतु यह छूट मात्र शैक्षिक सत्र 2013-14 तथा 2014-15 के लिए है तथा इसके पश्चात् उपलब्ध नहीं होगी। उदाहरणस्वरूप - 61 से 100 सीटों की प्रवेश क्षमता रखने वाले कॉलेज में समस्त 15 विभागों से सम्बन्धित कम से कम कुल 40 संकाय होंगे जिनमें से कम से कम 19 प्राध्यापक/प्रवाचक जैव-रसायन के अतिरिक्त 14 विभागों से सम्बन्धित होंगे।

अनुसूची-VI

[विनियम 6 तथा विनियम 8 का उपविनियम (3) देखें]

सिद्ध कॉलेज के तकनीकी तथा अन्य स्टॉफ का विवरण

क्र.सं. (1)	विभाग (2)	पद (3)	आवश्यकता (4)
1.	पुस्तकालय	पुस्तकालयाध्यक्ष	1
		सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	1
		पुस्तकालय परिचर अथवा चपरासी	1
2.	कॉलेज कार्यालय	प्राचार्य का निजी सहायक	1
		प्रशासनिक एवं लेखा सेवाओं हेतु लिपिकीय स्टॉफ	7
3.	थोत्राकिरम आराईचियुम सिद्ध मरुत्तुव वरलारूम	परिचर	1
4.	मरुत्तुव तावर इयल (मेडीसिनल बॉटनी)	प्रयोगशाला तकनीशियन	1
		परिचर सह संग्रहालयपाल	1
5.	उयिर वेधीयियल (बॉयो कैमिस्ट्री)	प्रयोगशाला तकनीशियन	1
		परिचर सह संग्रहालयपाल	1
6.	उड़ल कूरुगल (ऐनाटॉमी)	प्रयोगशाला तकनीशियन	1
		प्रयोगशाला सहायक	1
		परिचर सह संग्रहालयपाल	1
7.	उड़ल तत्तुवम (फीजियोलॉजी)	प्रयोगशाला तकनीशियन	1
		परिचर सह संग्रहालयपाल	1
8.	गुणपाडम	प्रयोगशाला तकनीशियन	1
		प्रयोगशाला सहायक	
		परिचर सह संग्रहालयपाल	1
9.	नोई अनुगा विधि	परिचर सह संग्रहालयपाल	1
10.	नोई नाडल तथा नोई मुधल नाडल	प्रयोगशाला तकनीशियन	1
		परिचर	1
11.	सट्टम सारन्थ मरुथुवमुम नन्जु मरुथुवमुम	परिचर सह संग्रहालयपाल	1
12.	मरुत्तुवम	परिचर सह संग्रहालयपाल	2
13.	वर्मम, पुरमरुत्तुवम एवं सिराप्पु मरुत्तुवम		
14.	सूल, मगलिर मरुत्तुवम		
15.	कुलन्दई मरुत्तुवम		
16.	अरुवई, तोल मरुत्तुवम		
17.	वनौषधि उद्यान	माली	1
		बहु-उद्देशीय कार्यकर्ता	2

टिप्पणी :- सफाई कर्मचारी, परिचर, लिफ्टर, प्रयोगशाला सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर (डीईओ),

बहुउद्देशीय कार्यकर्ता अनुबंध के आधार पर हो सकता है।

अनुसूची-VII

[विनियम 3 का उप-नियम (4), विनियम 6, विनियम 7 का उप-विनियम (7), विनियम 10 का उप-विनियम 3 (ज), एवं विनियम 11 (देखें)]

(क.) मरुत्तुव तावर इयल (फार्माकोग्नोसी) प्रयोगशाला के लिए उपकरण और यन्त्रों का विवरण

क्र.सं.	आवश्यक उपकरण एवं यन्त्र
1.	फील्ड मैग्निफायर
2.	कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप
3.	डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप
4.	माइक्रोस्कोप
5.	स्लाइड बॉक्स कवर सहित
6.	ब्लोटिंग/फिल्टर पेपर
7.	इलैक्ट्रोनिक्स बैलेन्स
8.	डिसेक्टिंग बॉक्स
9.	इनेमल ट्रे

(घ.) डीसेक्शन हाल के लिए उपकरण और यन्त्रों का विवरण

क्र.सं.	आवश्यक उपकरण एवं यन्त्र	
1	(i) (2-4 शव संरक्षण क्षमता)	
	(ii) संरक्षण कैमिकल्स वाला टैंक	
2	डाइसेक्टिंग टेबल	
	(i) स्टील की ऊपरी सतह अथवा मार्बल स्टेनलैस का ऊपरी सतह युक्त पूर्ण आकार की	4
	(i) स्टील की ऊपरी सतह अथवा मार्बल स्टेनलैस की ऊपरी सतह युक्त अर्ध आकार की	8
3	अन्य	
	(i) बोन कटर $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$ - फाइन पायटेड चिजल बोन डाइसेक्टर	
	(ii) नम्बर के बाल्टी एवं मग	
	(iii) ग्लव्स पाउडर	
	(iv) सर्जिकल ग्लव्स	
	(v) सर्जिकल ब्लेड	
	(vi) साबुन	

	(vii)	डिस्पोजेबल सीरिज - 20सीसी, 10सीसी, 5सीसी	
	(viii)	तौलिए	
	(ix)	कूड़ादान	
4		फर्नीचर एवं अन्य एक्विपमेंट्स	
	(i)	स्टूल्स (प्राथमिक धातु के)	50
	(ii)	वॉश बेसिन	2
	(iii)	बोन्स एवं ब्रेन सैक्शनिंग के लिए मशीनें	1
	(iv)	ओ.एच.पी.	1
	(v)	एक्स-रे दर्शी बॉक्स अथवा पैनल्स	3
	(vi)	ग्लास विभिन्न आकार के कोच के जार	300

(ग.) उड़ल तत्तुवम प्रयोगशाला हेतु आवश्यक उपकरण एवं यंत्रों का विवरण

क्र.सं.	अनिवार्य उपकरण एवं यंत्र
1.	माइक्रोस्कोप विद ऑयल इमर्शन
2.	ई.एस.आर. हेतु वैस्टरग्रीन पीपेट
3.	हीमाटोक्ट्रीट ट्यूब
4.	साहली हीमोग्लोबिनोमीटर
5.	हीमोसाइटोमीटर
6.	स्टेथस्कोप
7.	क्लीनिकल थर्मामीटर
8.	नी-हैमर
9.	ट्यूनिंग फोर्क्स
10.	इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ
11.	स्टॉप वॉच
12.	वाटर डिस्टिलेशन (स्टिल)
13.	थर्मामीटर, बैलेन्स, माइक्रोस्लाइड्स
14.	कवर स्लिप, ग्लासवेयर
15.	सेन्ट्रीफ्यूज मशीन विद स्पीड कंट्रोल
16.	कलरीमीटर (फोटो इलेक्ट्रिक)
17.	पी.एच. मीटर (इलेक्ट्रिक)
18.	पी.एच. कम्पैरेटर विद डिस्क
19.	रेफ्रीजरेटर
20.	न्यूटन्स कलर व्हील इन ए बैच
21.	स्पाइरोमीटर

693 46/13-7

22.	टोनोमीटर
23.	हाइड्रोमीटर
24.	विस्कोमीटर
25.	ओस्मोमीटर
26.	स्टेरेलाइजर
27.	बी.पी. ऐपरेटस
28.	टॉर्च
29.	मीजरींग टेप
30.	वेईंग मशीन
31.	पीकप-लो मीटर
32.	रीऐजैन्ट्स

(घ.) गुणपाठम प्रयोगशाला (शिक्षण औषधशाला प्रयोगशाला) हेतु आवश्यक उपकरण एवं यंत्रों का विवरण

क्र.सं.	अनिवार्य उपकरण एवं यंत्र
1.	कल्बम
(क)	स्माल
(ख)	मीडियम
(ग)	पोर्सेलेन
(घ)	तप्त खल्बम
2.	हीटिंग डिवाइज
(क)	गैस स्टोव
(ख)	इलेक्ट्रिक स्टोव
(ग)	हॉट प्लेट
(घ)	चूल्हा (लकड़ी का कोयला)
3.	बरतन
(क)	फ्राइंग पेन
(ख)	स्टील वेसल
(ग)	स्पैटुला
(घ)	लैडल्स एण्ड स्पून्स
(ङ)	नाइफ
(च)	प्लेटस
4.	विभिन्न आकार के मेजरिंग इक्विपमेन्टस (काच)
5.	बिग वेसल्स एण्ड कन्टेनर
(क)	ब्रास

(ख)	कॉपर
(ग)	स्टील इत्यादि
6.	विभिन्न धारिताओं की बेलेन्स
(क)	फिजिकल
(ख)	केमिकल
7.	पाउन्डिंग एपरेटस (उलुरवाला यंत्र)
8.	सीव्स (एसोर्टड संख्या एवं आकार)
9.	वैट ग्राइन्डर
10.	मिक्सी
11.	जूस एक्सट्रेक्टर
12.	पुड़म (विभिन्न प्रकार)
13.	पाइरोमीटर
14.	थर्मामीटर
15.	प्रेसर कुकर
16.	भूष मूसई (कृसिबल्स)
17.	कोष्ठी विद ब्लोअर
18.	रेफ्रीजरेटर
19.	जार (पोरसेलैन) फरमनटेशन पर्पस
20.	यंत्र
(क)	दोला यंत्र
(ख)	वालूक़ा यंत्र
21.	डिस्टिलेशन एपरेटस
22.	इनेमल ट्रेज
23.	स्प्रीट लैम्प
24.	माइक्रोस्कोप
25.	अर्थेन वेसल
27.	भण्डारण हेतु अलमारियां एवं रैक्स

(ड.) नोई नाइल प्रयोगशाला हेतु आवश्यक उपकरण और यंत्रों का विवरण

क्रं.सं.	आवश्यक यंत्र एवं उपकरण
1.	बाइनोक्यूलर माइक्रोस्कोप
2.	एक्स रे व्यू बाक्स
3.	स्टरलाइज्ड डिस्पोसेबल लैन्सर/नीडिल
4.	साहिली स्कैयर ट्यूब

5.	एच.बी. पिपेट
6.	ड्रॉपर
7.	ग्लास रोड
8.	डब्ल्यू.बी.सी. पिपेट
9.	इम्प्रूव्ड न्योबार चैम्बर
10.	कवर स्लिप
11.	रैड सेल पिपेट
12.	साफ स्लाइड
13.	इन्क्यूबेटर
14.	विन्ट्रोब ट्यूब
15.	पैस्टयोर पिपेट
16.	सैन्ट्रिफ्यूज ग्रेज्यूटी मशीन
17.	वैस्टरग्रेन पिपेट
18.	रबर शीट
19.	वैस्टरग्रेन स्टैण्ड
20.	लिटमस पेपर
21.	पीएच इन्डिकेटर पेपर स्ट्रिप्स
22.	यूरिनोमीटर
23.	मल्टी स्टिक्स
24.	बनसन बर्नर
25.	टेस्ट ट्यूब
26.	टेस्ट ट्यूब होल्डर
27.	फिल्टर पेपर
28.	स्टील अलमारी
29.	स्टील रैक
30.	विभिन्न आकार के ढक्कन सहित शीशे के जार
31.	ग्लास व्यू रैक
32.	मैग्नीफाइंग रैक
33.	आटोक्लेव
34.	वाटरबाथ
35.	विभिन्न प्रकार की पृथक करने हेतु फनल
36.	स्टाप वाच
37.	अल्ट्रावायलेट लैम्प
38.	मोनोआक्यूलर माइक्रोस्कोप आइल इमरसन लेंस 20 ई के साथ

39.	कैपिलरी ट्यूब
40.	हॉट एयर ओवन
41.	आइल इमरसन माइक्रोस्कोप के साथ
42.	रेफ्रिजरेटर
43.	स्टरलाइज्ड वैसिलस/ बोतल नमूने एकत्र करने हेतु
44.	बी.पी. अप्रेटस
45.	स्टेथस्कोप
46.	थर्मामीटर
47.	टंग डिप्रैसर
48.	टार्च
49.	नी हेमर
50.	मैसरिंग टेप
51.	ई.एन.टी. एग्जामिनेशन सैट
52.	रिफ्लैक्टर (मिरर)
53.	वेइंग मशीन
54.	ट्यूनिंग फार्क
55.	नेशल स्पेकुलम
56.	लेरिजोस्कोप
57.	कैथेटरस
58.	प्रोब्स
59.	डिस्पोसेबिल ग्लवस
60.	फिजिकल बैलेन्स
61.	सिरिन्ज निडल डिस्ट्रोयर
62.	एचबीएस ए.जी. किट
63.	एचआईवी किट-ट्राईडोट (टी मित्रा के तरीके से)
64.	सीटी एण्ड बी.टी.किट
65.	सैल काउन्टर (हीमोओटोएनालाइजर)
66.	रीनल प्रोफाइल, एलएफटी किट, लाइपिड प्रोफाइल, ब्लड सुगर किट

(च.) प्रसव कक्ष हेतु आवश्यक उपकरण एवं यन्त्रों का विवरण

क्र.सं.	आवश्यक यन्त्र एवं उपकरण
1.	शैडोलेस लैम्प
2.	सक्सन मशीन (न्यूनेटल)
3.	ऑक्सीजन सिलिंडर एवं मास्क

693 4/13-2

4.	फीटल टोको कार्डियोग्राफ
5.	रेडिएन्ट वार्मर
6.	फोटो थैरेपी यूनिट
7.	वेइंग मशीन (बच्चों की)
8.	रोगी ट्रॉली
9.	एनस्थीसिया ट्रॉली
10.	एन्फेन्टोमीटर
11.	वैक्यूम एक्सट्रैक्टर
12.	फीटल डॉपलेर
13.	लॉ कैविटी फारसेप्स
14.	स्टरलाइजर
15.	मशीनोटोस रबर शीट
16.	कैटगट एवं श्रेड
17.	स्पेकुलम - सिम्स - कसकोस
18.	प्रसव के लिए साधन एवं इपसियोटोमी (सीजर, फोरसप्स, नीडल होल्डर इत्यादि)
19.	बेबी ट्रे
20.	ड्रा शीट
21.	प्लास्टिक एप्रन
22.	एचआईवी किट आत्यापिक रोगियों के लिए
23.	सामान्य एवं छिद्र सहित तौलिए
24.	ग्लव्स
25.	निबूलाइजर
26.	फीटोस्कोप
27.	ऑटो क्लेव
28.	ड्रम्स
29.	उपकरण ट्रे
30.	ऑपरेशन टेबिलस सिर उठाने व सिर नीचे करने की सुविधा सहित
31.	डबल डोम सैडोलैस लैम्प
32.	पल्स ऑक्सीमीटर
33.	ऑक्सीजन सिलिन्डर
34.	रिसक्सीसिटेशन किट
35.	बॉयलस एप्रेटस
36.	इलैक्ट्रो काटरी
37.	एमटीपी सक्सन मशीन
38.	एनस्थीसिया किट
39.	ब्लान्ट एण्ड शार्प क्यूरेटर
40.	डायलेटर सैट (हैंगरस एण्ड हॉकिन्स)
41.	एन्टीरियर वैजाइनल वाल रिट्रेकट

42.	यूटराइन साउन्ड
43.	वैलोस्लम
44.	एमटीपी सक्सन क्यूरेट
45.	नीडिलस
46.	नीडिल होल्डर
47.	स्पंज हॉल्डिंग फोरसेप्स
48.	टॉवल क्लिपस
49.	एबडोमिनल रिट्रैक्टर (डायन अन्य)
50.	ग्रीन अर्मीटिज फारसेप्स
51.	यूटरस होल्डिंग फारसेप्स
52.	कोकस फॉरसेप्स
53.	आरट्री फॉरसेप्स (लॉग, शॉर्ट, मास्क्यूटो)
54.	विभिन्न आकार की कैंची
55.	आब्द्रेटिक फारसेप्स
56.	टंग डिप्रेसर
57.	एन्डोट्रिकियल ट्यूब
58.	बीपी एप्रैटस
59.	एचएसजी कैनल
60.	कार्ड काटने का उपकरण
61.	आईयूसीडी रिमूविंग हुक
62.	ब्लैडर साउन्ड

(छ.) लघु शल्यकर्म कक्ष हेतु आवश्यक उपकरण एवं यंत्रों का विवरण

क्र.सं.	अनिवार्य उपकरण एवं यंत्र
1.	स्पोट लाइट
2.	नीडल होल्डिंग फारसेप्स
3.	एसोर्टिड साइज के ड्रैसिंग ड्रम
4.	आई.वी. स्टैण्ड
5.	एक्सरे व्यू बाक्स ;डबलछ
6.	मास्क एण्ड कैप
7.	गौज, काटन एवं पट्टियों
8.	विभिन्न साइज के ग्लवस
9.	आर्टरी फॉरसिप्स
10.	डिसैक्शन फॉरसैप्स
11.	साइनस फॉरसैप्स

12.	सीधी कैची (टेलर)
13.	विभिन्न साइज की कवर्ड सीजर
14.	स्टिज रिमुवल सीजर
15.	पाइन्टड सीजर्स
16.	प्रोब्स एसोर्टिड साइज
17.	नीडिल होल्डर
18.	सूचरिंग नीडिल ;स्ट्रेट/कर्कड
19.	सर्जिकल थ्रेड
20.	बी.पी.हैण्डल ऑफ डिफरैन्ट साइज
21.	सर्जिकल ब्लेड्स ऑफ डिफरैन्ट साइज
22.	रबर कैथेटर ऑफ असार्टड साइज
23.	जनरेटर
24.	एमजैसी लाईट
25.	रैफरीजरेटर
26.	आटोक्लेव
27.	प्राक्टोस्कोप
28.	नेसल स्पैकुलम
29.	ईएर स्पैकुलम
30.	आई वॉस ग्लासेस
31.	आरल सिरिज
32.	किडनी ट्रे
33.	कार नूल
34.	सलागई
35.	ऑपरेशन टेबल
36.	इन्स्ट्रुमेन्ट ट्राली
37.	रिवाल्विंग स्टूल
38.	स्टेरिलाइजर
39.	वैपोराइजर
40.	निबूलाइजर
41.	ग्रेब्रिल सिरिन्ज
42.	पाइल होल्डिंग फॉर्सेप्स
43.	बैरन पाइल्स गन
44.	वार्तिकल बी.पी. इन्सट्रुमेन्ट

(ज.) बहिरंग रूप विभाग में आवश्यक उपकरण एवं यंत्रों का विवरण

1.	कायाचिकित्सा	एक्स-रे व्यू बाक्स बी.पी. एप्रेटस स्टेथोस्कोप बैठने की व्यवस्था एग्जामिनेशन टेबल थर्मामीटर टंग डिप्रेसर काटन बाल्स टार्च मेजरिंग टेप वेट एण्ड हाइट मेजरिंग स्टैंड नी हेमर वाशबेसिन
2.	शल्य	हाथ धोने की व्यवस्था ट्रेनेज फैसिलिटी माइनर ओ.टी. इंस्ट्रुमेंट फार एनोरेक्टल एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन टेबल बी.पी. एप्रेटस थर्मामीटर सर्जिकल ब्लेड काटन बाल्स गाज पीसस एक्स-रे व्यू बाक्स स्टेथोस्कोप बैठने की व्यवस्था चीटल फारसेप्स टार्च
3.	शालाक्य	ट्यूनिंग फार्क आपथैल्मोस्कोप/फंडोस्कोप आरो स्कोप एग्जामिनेशन टेबिल एक्स-रे व्यू बाक्स बी.पी. एप्रेटस स्टेथोस्कोप

		थर्मामीटर
		बैठने की व्यवस्था
		इ.एन.टी. किट
		टार्च
		बुल्स लैम्प
4.	प्रसूति एवं स्त्रीरोग	वेइंग मशीन
		सिम्स स्पैक्यूलम
		थर्मामीटर
		कस्कोस स्पैक्यूलम
		एग्जामिनेशन
		लैम्प स्टैण्ड
		टार्च
		एक्स-रे व्यू बाक्स
		बी.पी. एप्रेटस
		स्टेथोस्कोप
		बैठने की व्यवस्था
		मेजरिंग टेप
		वासबेसिन
5.	बालरोग	स्केल
		वेइंग मशीन
		टार्च
		व्यू बाक्स
		थर्मामीटर
		बी.पी. एप्रेटस
		स्टेथोस्कोप
		एग्जामिनेशन टेबिल
		बैठने की व्यवस्था
6.	पंचकर्मा	कायचिकित्सा के आधार पर
7.	योग एवं स्वास्थ्य रक्षण	उपलब्ध सुविधाएं (उपकरण, फर्नीचर इत्यादि)
8.	आपात स्थिति	उपलब्ध सुविधाएं (उपकरण, फर्नीचर इत्यादि)

प्रेमराज शर्मा, निबन्धक-सह-सचिव

[विज्ञापन III/4/124/12/असा.]

टिप्पणी: अंग्रेजी एवं हिन्दी विनियम में कोई विसंगति पायी जाती है, तो अंग्रेजी विनियम नामतः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (सिद्ध महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के न्यूनतम मानक आवश्यकताएं) विनियम, 2013 को अन्तिम माना जायेगा।

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2013

No. 18-1/2010-S(M.S.R.).-In exercise of the powers conferred by clause (j) of section 36 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Council of Indian Medicine, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

1. **Short title and commencement.**-(1) These regulations may be called the Indian Medicine Central Council (Minimum Standard Requirements of Siddha Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2013.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definition.**-(1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Act" means the Indian Medicine Central Council Act, 1970;
 - (b) "college" means a Siddha College or Institute conducting or proposed to conduct degree course of Siddha;
 - (c) "attached hospital" means a teaching Siddha hospital attached to the college.
- (2) The words and expression used herein and not defined, but defined in the Act, shall have the respective meanings assigned to them in the Act.
3. **Minimum Standards Requirement.**-(1) The Siddha colleges established under section 13A of the Act and existing Siddha colleges under section 13C of the said Act and their attached hospitals shall fulfill the minimum standards requirement of infrastructure and teaching and training facilities referred to in the regulations 4 to 11 by the 31st December, 2014 for consideration of grant of permissions for undertaking admissions in the coming academic years.
- (2) If a college fulfills the requirement by the 31st December, 2014 as per these notified regulations, it shall be granted permission to undertake admissions for a period not exceeding five years during which the college shall not be inspected, except for random checks on receipt of any complaint, or otherwise as deemed necessary either by the Central Government or by the Central Council of Indian Medicine.
- (3) The Central Council shall visit the college *suomoto* three months before the expiry of permission.
- (4) The conditional permission shall be granted only to those colleges which are fulfilling at least the requirement of teachers as specified in the Schedule-V, the requirement of functional hospital as specified at sub-regulation (2) of regulation 7 and availability of equipment as specified in the Schedule-VII for each academic year 2013-14 and 2014-15 on the basis of the separate inspections to be carried by the Central Council of Indian Medicine after the 15th May, 2013 for the academic year 2013-14 and after the 31st December, 2013 for the academic year 2014-15.

- (5) Such conditionally permitted colleges or which have been denied permission during academic year 2013-14 and/or 2014-15, will be required to fulfill the requirements as specified in these regulations by the 31st December, 2014.
- (6) All the existing colleges, which are not able to achieve full compliance of the requirement as specified in these regulations by the 31st December, 2014, shall be denied permission from academic year 2015-16 onwards and action as envisaged under section 21 of the said Act shall be initiated against all such colleges apart from rejection of their applications under sections 13A or 13C, which have been under consideration by way of conditional permissions or denials.

4. Requirement of Land.- (1) The total build up area required for adequate infrastructure including medical college, hospital and other infrastructure required under these regulations, is made available in a single piece of land, not less than three acres, for an intake capacity up to sixty seats.

- (2) For intake capacity from sixty one to hundred seats, the land shall not be less than five acres and in not more than two plots at a distance not exceeding two kilometer, and the plot, if separated by a road or canal or rivulet but connected with a bridge, will be treated as one piece of land.
- (3) The total constructed area shall be based upon the permissible Floor Area Ratio or Floor Space Index allowed by the authority concerned or local laws or rules.
- (4) A certificate from the local municipal authority certifying or approving the construction plan of the proposed buildings having the required construction area as per the Schedule-I and the Schedule-II which can be accommodated in the piece of land, must be provided at the time of applying for permission of the Central Government.
- (5) The land should be owned by the college or possessed on lease, in the name of the college, for a period not less than ninety nine years or the maximum permissible period as per rules or regulations of the respective State Government or Union territory and the renewal of permission shall, however, be required on expiry of lease.
- (6) The requirement of the size and possession of the land is not applicable for the colleges established prior to the 7th November, 2003, but at the end of the current lease period, such colleges should either own the land or get it on the lease for a period not less than ninety-nine years or the maximum permissible period as per rules or regulations of the respective State Government or Union territory.

Explanation - The Floor Area Ratio or Floor Space Index is the ratio of the total floor area of buildings on a certain location to the size of the land of that location, or the limit imposed on such a ratio.

5. Requirement of minimum constructed area.-

- (1) The college and attached hospital shall have the constructed area of two thousand square meter each for intake capacity up to sixty seats.
- (2) The college and attached hospital which have intake capacity of sixty-one to hundred seats shall have the constructed area of four thousand and three thousand and five hundred square meters respectively.
- (3) The college and hospital should be constructed in separate buildings as per the details specified in Schedule-I and Schedule-II and the requirement of separate college and hospital buildings will be applicable for the colleges established after the date of this notification.

- (4) The college shall also maintain other infrastructural requirements like sufficient accommodation to work comfortably, for college and hospital staff, outdoor and indoor games facility, civil and electrical services and workshop and adequate parking space within the campus of college and hospital.
- (5) The herbal garden shall have the minimum area as prescribed in the Schedule-III.
6. **Admission Capacity.**—The annual intake capacity in under graduate course will be in the slabs of sixty and hundred, and if any college has the intake capacity of less than sixty or between sixty one and hundred seats, it has to comply with the requirements for sixty or hundred seats respectively, as mentioned in Schedule-I to Schedule-VII.

7. **Requirements of teaching Hospital.**

- (1) The teaching hospital shall fulfill all the statutory requirements of the concerned State or Union territory or local authority to establish and run the hospital and shall submit the updated certified copies of such permission(s) or clearance(s) to the Central Government and the Central Council, and the concerned State Government or Union territory shall verify the availability of such permission(s) or clearance(s) before issuing the No Objection Certificate to such applicant colleges.
- (2) Requirement of beds, bed occupancy and Out Patient Department attendance: The ratio of students with number of beds, In-Patient Department bed occupancy and Out-Patient Department attendance shall be 1:1, forty percent. and 1:2 respectively for under graduate courses, as given in Table below and the distance between two beds in general ward should not be less than one and a half meter.

Table

Intake capacity per year	Minimum number of beds in In Patient Department on the 1:1 student-bed ratio	Minimum per day average number of patients in In Patient Department during last one calendar year (365days) (40% bed occupancy)	Minimum per day average number of patients in Out Patient Department during last one calendar year (300 days) (1:2 student-patient ratio)
Upto 60 students	60 beds	24	120
61 to 100 students	100 beds	40	200

- (3) Maintenance of record of attendance of Out-Patient Department and In-Patient Department patients: The College and hospital shall maintain the computerized central registration system for maintaining the records of patients in Out-Patient Department and In-Patient Department, and the college shall also maintain the Department wise Out-Patient Department and In-Patient Department records, laboratory and radiological investigation reports, medicines dispensing register, diet register for In-Patient Department patients, duty roster of hospital staff, birth and death certificates, etc. so as to substantiate the claim of genuine functional Siddha hospital, fulfilling the norms as specified in the sub-regulation (2).
- (4) Space requirement: The hospital shall be suitably spacious to accommodate Out-Patient Department and In-Patient Department containing wards in addition to

692 9/13-10

reception, patients' waiting area, dispensing room, dressing room, clinical laboratory, radiology section, side pharmacy, kitchen, service rooms, medical record-room, Karanool therapy section, operation theatre, labour room, store rooms, separate wards for male and female, duty rooms for Doctors, Nurses and other staff, etc. required for a fully functional hospital, and the specification of built-up area in the attached hospital shall be as per Schedule-I.

- (5) **Out-Patient Department:** The hospital shall have minimum six following Out-Patient Departments, namely:-
- Maruthuvam (Medicine);
 - Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (Varmam Therapy, External Therapy and Special Medicine);
 - Sool, MagalirMaruthuvam (Obstetrics and Gynaecology);
 - Aruvai, TholMaruthuvam (Surgery and Dermatology);
 - KuzhanthaiMaruthuvam (Peadiatrics); and
 - AvasaraMaruthuvam (Casualty).
- (6) **In-Patient Department:** The In-Patient Department of the hospital shall have separate male and female wards and distribution of beds shall be as under –

S.No.	In-Patient Departments	Distribution	60 beds	100 beds
1.	Maruthuvam (Medicine)	30% beds	18	30
2.	Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (Varmam Therapy, External Therapy and Special Medicine)	25% beds	15	25
3.	Sool, MagalirMaruthuvam (Obstetrics and Gynaecology)	15% beds	9	15
4.	Aruvai, TholMaruthuvam (Surgery and Dermatology)	20% beds	12	20
5.	KuzhanthaiMaruthuvam (Peadiatrics)	10% beds	6	10

- (7) **Noi Naadal, Sattam Saarntha Maruthuvamum, Nanju Maruthuvamum Laboratories (Clinical Laboratory for clinical diagnosis and investigations):-** There shall be a clinical laboratory in the hospital complex with proper infrastructure and manpower as specified in Schedule I, Schedule II, Schedule-IV, Schedule-V and the Schedule-VII for carrying out routine, pathological, biochemical and hematological investigations and Siddha diagnostic techniques on the patients referred from Out-Patient and In-Patient Departments of the hospital.
- (8) **Hospital Staff:** The minimum staff required for a sixty bedded hospital shall be as specified in the Schedule-IV and it shall be liable to be increased proportionately in accordance with the increase in required bed strength.

8. Requirements of College.-

- (1) **Teaching Staff:** There shall be a minimum of thirty full time teachers and forty-five full time teachers appointed on regular basis for intake capacity of up to sixty students and sixty-one to hundred students, respectively, with the addition of eight part time teachers of Modern Medicine for each slab, as specified in Schedule-V.

- (2) Age of Teachers: The age of superannuation of teachers shall be as per the Central Government or State Government or University Grant Commission norms as already applicable in that particular Institute, and the retired teachers, fulfilling the eligibility norms of teachers can be re-employed up to the age of sixty-five years as full time teacher.
- (3) Requirement of technical and other staff: Technical and other staff in various units and departments of the college shall be as per the details given in Schedule-VI.

9. Miscellaneous requirements.-

- (1) Office Support: Dean, Medical Superintendent and each department shall have independent computer and printer facility.
- (2) College Council: (a) Every medical college or Medical Institution shall have a College Council comprising of the Head of Departments as members and Principal or Dean as Chairperson.
 - (b) The College Council shall meet at least four times in a year to draw up the details of curriculum and training programme, enforcement of discipline and other academic matters.
 - (c) The College Council shall also organise interdepartmental meetings like grand rounds, statistical meetings and clinical meetings including periodical research review in the Institution regularly.
- (3) College Website: Each and every college or institute shall have its own website, wherein the following details updated in the first week of every month shall be provided-
 - (a) details of Director or Dean or Principal and Medical Superintendent including their name, age, registration number, qualification, date of joining, complete address with telephone or mobile numbers and State Trunk Dialing code, fax and E-mail etc.;
 - (b) details of teaching staff along with their photograph, registration number, date of birth, qualification, experience, department etc.;
 - (c) non-teaching staff of college and hospital staff along with their department;
 - (d) details of the sanctioned intake capacity of various courses under graduate as well as post graduate;
 - (e) list of students admitted, merit-wise, category-wise (under graduate and post graduate) for the current and previous year;
 - (f) any research publications during the last one year;
 - (g) details of any Continuous Medical Education (CME) programmes, conferences and/or any academic activities conducted by the institution;
 - (h) details of any awards and achievement received by the students or faculty;
 - (i) details of the affiliated University and its Vice-Chancellor and Registrars;
 - (j) result of all the examinations of last one year;
 - (k) detailed status of recognition of all the courses;
 - (l) details of clinical material in the hospital.
- (4) Biometric Attendance: It is desirable to have biometric attendance supported with web camera based computerised attendance system for teaching, non-teaching college staff and hospital staff.

10. Phase wise specific requirements of new colleges.--

- (1) A Siddha college seeking permission for starting Siddha MaruthuvaArignar (Bachelor of Siddha Medicine and Surgery) Course under the provisions of section 13A of the Act, shall establish infrastructure and manpower in phased manner, as provided in sub-regulations (2) to (5) of this regulation.
- (2) Before admission of the first batch of students, the college shall have-
 - (a) at the time of submission of application, there should be a fully developed hospital building with functional Siddha hospital having appropriate number of beds, bed occupancy and Out-Patient Department attendance corresponding to the annual students intake capacity specified in the sub-regulation (2) of regulation 7 in the land earmarked for college and attached hospital for the last one year;
 - (b) all teachers with the requisite qualifications as mentioned in regulation 8, required for first professional year of teaching should be available and wherever there is shortfall of Professors, equal number of Readers shall be appointed;
 - (c) at least one specialist doctor or clinical teacher in each of Maruthuvam; Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam; Sool, MagalirMaruthuvam; KuzhanthaiMaruthuvam and AruvaiMaruthuvam appointed for operating the hospital.
 - (d) a library with two thousand books, seating capacity of fifty persons for up to sixty admissions and eighty persons seating capacity for sixty one to hundred admissions and adequate staff;
 - (e) a properly furnished and well-equipped two lecture halls and teaching departments and laboratories and museums essential for the first professional year of teaching;
 - (f) a medicinal plants garden covering over two thousand and five hundred square meter of land and four thousand square meter of land for sixty seats and sixty-one to one hundred seats respectively with plantation of at least one hundred species of medicinal plants; and
 - (g) fifty per cent of paramedical, supporting and other hospital staff on the posts sanctioned for the purpose, on regular or contractual basis as per norms.
- (3) The college will be visited at least three months before the admission of the second batch of students and at that time the college shall have-
 - (a) all teachers with the requisite qualification as mentioned in regulation 8 and non-teaching staff required for the first and the second professional years of teaching and training should be appointed, and wherever there is shortfall of Professors, equal number of Readers shall be appointed;
 - (b) at least one specialist doctor or clinical teacher in each of Maruthuvam; Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam; Sool, Magalir Maruthuvam; Kuzhanthai Maruthuvam and Aruvai Maruthuvam departments for working in the college hospital;

- (c) a library with five thousand books, seating capacity of fifty persons for up to sixty admissions and eighty persons seating capacity for sixty one to hundred admissions and adequate staff.
 - (d) a properly furnished and well-equipped three lecture halls and teaching departments, laboratories and museums, essential for first and second professional years of teaching;
 - (e) one hundred and fifty species of medicinal plants in medicinal plants garden;
 - (f) fully developed buildings for college, teaching laboratories teaching pharmacy;
 - (g) there should be a fully developed hospital building with functional Siddha hospital having appropriate number of beds, bed occupancy and Out-Patient Department attendance corresponding to the annual students intake capacity specified in the sub-regulation (2) of regulation 7;
 - (h) seventy five percent of the paramedical, supporting and other hospital staff on the posts sanctioned for the purpose, on regular or contractual basis as per norms; and
 - (i) there shall be a Teaching Pharmacy and Quality Testing Laboratory attached to Department of Gunapaadam, with minimum area as specified in Schedule II and equipments as per Schedule-VII, for preparation of medicine as per syllabus.
- (4) The college will be visited at least three months before the admission of third batch of students and at that time the college shall have-
- (a) all teachers with the requisite qualification as mentioned in regulation 8 and non-teaching staff required for the first, second and third professional years of teaching and training should be appointed and wherever there is shortfall of Professors, equal number of Readers shall be appointed;
 - (b) at least one specialist doctor or clinical teacher in each of Maruthuvam; Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam; Sool, Magalir Maruthuvam; Kuzhanthai Maruthuvam and Aruvai Maruthuvam departments for working in the college hospital;
 - (c) a library with five thousand books, seating capacity of fifty persons for up to sixty admissions and eighty persons seating capacity for sixty-one to hundred admissions and adequate staff
 - (d) a properly furnished and well-equipped three lecture halls and teaching departments, laboratories and museums, essential for first, second and third professional years of teaching;
 - (e) two hundred species of medicinal plants in medicinal plants garden;
 - (f) fully developed buildings for hospital, college and laboratories and teaching pharmacy;
 - (g) there should be a fully developed hospital building with functional Siddha hospital having appropriate number of beds, bed occupancy and Out-Patient

- Department attendance corresponding to the annual students intake capacity specified in the sub-regulation (2) of regulation 7;
- (h) seventy five per cent of the paramedical, supporting and other hospital staff on the posts sanctioned for the purpose, on regular or contractual basis as per norms; and
 - (i) there shall be a Teaching Pharmacy and Quality Testing Laboratory attached to Department of Gunapaadam, with minimum area as specified in Schedule II and equipment as per the Schedule-VII, for preparation of medicine as per syllabus.
- (5) Before the admission of the fourth batch of students, the college shall have-
- (a) all teachers with the requisite qualification as mentioned in regulation 8 in the concerned subject and non-teaching staff required for the first, second, third and fourth i.e. final professional years of teaching and training;
 - (b) all infrastructure and manpower requirements of college, hospital and other units in accordance with the specified norms;
 - (c) a library with seven thousand five hundred books, seating capacity of fifty persons for up to sixty admissions and eighty persons seating capacity for sixty-one to hundred admissions and adequate staff;
 - (d) there should be a fully developed hospital building with functional Siddha hospital having appropriate number of beds, bed occupancy and Out Patient Department attendance corresponding to the annual students intake capacity specified in the sub-regulation (2) of regulation 7;
 - (e) two hundred and fifty species of medicinal plants in medicinal plants garden;
 - (f) fully functional laboratories and pharmacy with drug testing facilities; and
 - (g) assured round the clock availability of medical services including medicines, paramedical staff, doctors and emergency management in the hospital.
- (6) The permission to establish a medical college and admit students may be granted initially for a period of one year and may be renewed on yearly basis subject to verification of achievement of annual targets as mentioned under regulation 10, and it shall be the responsibility of the college to apply to the Council for purpose of renewal six months prior to the expiry of the initial permission.
- (7) The process of renewal of permission will continue till such time the establishment of the medical college is completed for passing-out of the first batch.

11. List of equipments, machineries, etc.— To ensure proper provision of teaching and training material to the students, the colleges shall possess the minimum ninety per cent of required equipments, machineries etc. in the teaching departments, hospital, laboratories, dissection hall, library, pharmacy and other units of the college in sufficient numbers, as specified under Schedule-VII.

SCHEDULE-I

[See sub-regulation (4) of regulation 4, sub-regulation (3) of regulation 5, regulation 6, sub-regulations (4) and (7) of regulation 7]

REQUIREMENT OF AN ATTACHED HOSPITAL OF A SIDDHA COLLEGE

S.No.	Particulars	Built up area (in square meters)	
		Up to 60 students intake	61 to 100 students intake
1	2	3	4
I.	Total constructed area of hospital building	2,000	3500
II.	Hospital Administration Block:	100	150
1.	Superintendent room		
2.	Deputy Superintendent room		
3.	Medical officer's room (for 2 Resident Medical Officer/Resident Surgical Officer)		
4.	Matron room		
5.	Assistant Matron room (for 2)		
6.	Reception and Registration		
III.	Out-Patient Departments (OPD)	300	500
1.	Maruthuvam OPD with toilet and wash basin		
2.	Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam OPD with Yoga demonstration area, toilet and wash basin		
3.	Sool, MagalirMaruhuvam OPD toilet and Examination Room		
4.	Aruvai, TholMaruthuvam OPD with toilet and wash room		
5.	KuzhandhaiMaruhuvam OPD with toilet and wash room		
6.	Avasaramaruthuvam (Casualty) section with toilet and wash basin		
7.	Dressing and First Aid Room, Kaaranool therapy room		
8.	Dispensary		
9.	Waiting Space for patients		
10.	Store		
11.	Male and Female Toilet for patients		
IV.	In-Patient Department (IPD)	1000	1850
1.	Maruthuvam Male Ward with attached toilet and bath room		
2.	Maruthuvam Female Ward with attached toilet and bath room		
3.	Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam Male Ward with attached toilet and bath room		
4.	Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam Female Ward with attached toilet and bath room		

5.	Sool, MagalirMaruthuvam Ward with attached toilet and bath room		
6.	Aruvai, TholMaruthuvam Male Ward with attached toilet and bath room		
7.	Aruvai, TholMaruthuvam Female Ward with attached toilet and bath room		
8.	Kuzhandhai Maruthuvam Ward with attached toilet and bath room		
9.	Doctors' duty room one for each department with attached toilet and bath		
10.	Nursing staff duty rooms, one in each ward with attached toilet-bath		
11.	Store room for linen, etc.		
V.	Operation Theatres Block	150	250
1.	Minor Operation Theatre		
2.	Labour Room with attached toilet and bath room		
3.	Neonatal care room		
4.	Central Sterilization or Autoclave Unit		
5.	Scrub room		
6.	Two Recovery room		
7.	Doctors' duty room with attached toilet and bath room		
8.	Interns'/house officers'/resident doctors' room with attached toilet and bath room.		
9.	Nursing staff room with attached toilet and bath room		
VI.	Varmam, Puramaruthuvam Block:	175	300
1.	1.Varmam Arai (Male) 2.Varmam Arai (Female) 3.Thokkanam Arai (Male) 4.Thokkanam Arai (Female) 5.Neeravi Kuliya Arai (Male) 6.Neeravi Kuliya Arai (Female) 7.Peechu Arai(Male) 8.Peechu Arai(Female) 9.AttaiViduthal, Chuttigai etc. 10.Kaara nool therapy room		
2.	Varmam, Puramaruthuvam therapist or Physician's room		
3.	store room		
4.	Four attached toilet-baths for males and four for females with wash basin and geyser facility in each, which will be in addition to the toilets of wards.		
VII.	Central Laboratory: Well equipped and spacious area of 100 square meters with separate sections for Pathology, Biochemistry and Microbiology and the attached toilet shall be there for collection of urine samples and other latest diagnostic	100	150

	facilities such as ECG also shall be provided.		
VIII.	Radiology/Sonography section Radiology chamber with X-ray room, Dark room, film drying room, store room, Ultra Sonography room, patients waiting and dressing room, reception /registration/ report room	50	100
IX.	Hospital Kitchen and Canteen:	100	150
X.	Store room	25	50
	TOTAL	2,000	3,500

Note:

1. The above indicated subdivided area among various components may vary within plus or minus twenty per cent but the total area of attached hospital should be as per the area mentioned at regulation 5.
2. The breakup of built up area requirement of the attached hospital of a Siddha College with annual intake capacity of sixty one to hundred students will correspondingly increase keeping in view the total requirement of area as mentioned at regulation 5.
3. The requirement of attached toilet with each Out-Patient Department for the colleges will be applicable for the colleges established after the date of this notification.

6934/13-12

SCHEDULE-II

[See sub-regulation (4) of regulation 4, sub-regulation (3) of regulation 5, regulation 6 and sub-regulation (7) of regulation 7]

REQUIREMENT OF A SIDDHA COLLEGE

S.No.	Particulars	Built up area (in square meters)	
		Up to 60 students intake	61 to 100 students intake
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	Total constructed area of college building	2,000	4,000
(2)	Administrative Section: Administrative section of the college shall include Principal's Room, Personal Assistant's Room, Reception, Visitors' lounge, Staff Committee Room, Clerks' room, Accounts section, Record room, Central Store and separate toilets for gents and ladies.	150	300
(3)	Lecture Halls: There shall be at least five Lecture halls, each having the area of not less than eighty square meter area for intake upto 60 seats and 160 square meter area for intake from 61 to 100 seats , with proper electricity supply, audio-visual teaching aids, fans or coolers and comfortable sitting arrangement preferably theatre type. Separate toilets for boys and girls shall be constructed in each floor.	400	800
(4)	Seminar/Conference/Examination Hall: A large hall with sitting capacity for four hundred to five hundred persons shall be available within the college premises for meetings, seminars, conferences, symposia, examination, counseling etc. The hall shall have adequate electrical and sitting arrangement and audio-visual system facilities.	150	300
(5)	Central Library: A central library shall have seating capacity for at least fifty persons for up to sixty intake capacity and eighty persons for 61 to 100 intake capacity, adequate number of shelves or almirahs, sufficient space for keeping stocks, separate reading room for teachers, librarian's room, photocopier/video room computer with printer and internet facility. The library shall have proper light arrangement, fans or coolers, drinking water arrangement and toilet facilities. The	100	200

	library shall have two thousand and five hundred books of different titles of Siddha, modern medicine and allied sciences at the time of first admission of students. The number of books shall increase to five thousand before the admission of second and third batches of students and seven thousand five hundred before the admission of fourth batch of students.		
(6)	Teaching Departments: There shall be 15 Teaching Departments each with rooms for teachers, a small departmental library, a small office, working accommodation for non-teaching staff and a museum or laboratory or dissection hall or tutorial room as per requirement of individual department.	Total 1200 square meters and break up may be as follows:	Total 2400 square meters and break up may be as follows:
	Department wise area requirement shall be as under:-		
	(i) Thotrakirama Aaraaichiyum Siddha Maruthuva Varalaarum Department plus Departmental library cum tutorial room;	50	100
	(ii) Tamil/English Department plus Departmental library cum tutorial room;	50	100
	(iii) Udal koorugal Department with Dissection Hall having proper ventilation room for students with adequate lockers and wash basins, an embalming room with a storage tank or freezer for four dead bodies and Udal koorugal (Anatomy) museum with optional micro-anatomy laboratory;	100	200
	(iv) Udal thathuvam Department plus Udal thathuvam (Physiology) laboratory with optional facility for bio-chemistry testing;	100	200
	(v) Medicinal botany Department plus Herbarium-cum Medicinal botany museum and Pharmacognosy and Pharmacology labs;	100	200
	(vi) Gunapaadam Department plus Gunapaadam laboratory and museum; Drug Testing Lab of Pharmacy will also be used for teaching.	75	150
	(vii) Noi naadal Department plus Noi naadal (Pathology) Laboratory;	75	150
	(viii) Varmam, Puramaruthuvam Department plus Yoga Hall either in college or in the hospital;	50	100
	(ix) Sattam Saarntha Maruthuvamum	50	100

	Nanju Maruthuvamum Department plus museum cum tutorial room;		
	(x) Maruthuvam Department and tutorial room;	50	100
	(xi) Kuzhandhai maruthuvam Department and tutorial room;	50	100
	(xii) Aruvai, Thol Maruthuvam Department plus museum cum tutorial room and Experimental Surgery Laboratory;	75	150
	(xiii) Noi anuga vidhi Department plus museum cum tutorial room;	50	100
	(xiv) Sool, magalir Maruthuvam department and tutorial room; and	50	100
	(xv) Uyir Vedhiyiyal (Bio chemistry) Department plus tutorial room and Biochemistry Laboratory;	75	150
	*Note- Working tables of all the laboratories should be of hard stone or stainless steel and there should be arrangement of proper shelves and running water taps in wash basins.		
(7)	Teaching Pharmacy and Quality Testing Laboratory: The college shall have a teaching pharmacy with proper training facilities for preparation of different types of Siddha Medicines like Chooranam, Mathirai, Mezhugu, Rasayanam etc., a raw drugs store and in-house drug identification	100	200
(8)	Common Rooms: Separate common rooms for boys and girls with adequate space and seating arrangement shall be available.	50	100
(9)	Canteen: Canteen facility with sitting arrangement for about 100 persons shall be available in the college premises.	50	100
	Total	2,000	4,000

Note:

1. The above indicated subdivided area among various components may vary within plus or minus twenty per cent but the total area of a Siddha College should be as per the area mentioned at regulation 5.

SCHEDULE-III

[See sub-regulation (5) of regulation 5 and regulation 6]

ALLIED INFRASTRUCTURE REQUIREMENTS OF A SIDDHA COLLEGE

Sl. No. (1)	Particulars (2)	Area (in square meter)	
		Up to 60 students	61-100 students
		(3)	(4)
(1)	Herbal garden: A well-developed medicinal plant garden with two hundred and fifty species of medicinal plants and a demonstration room of twenty five to fifty square meters area and necessary implements shall exist with the college.	2500	4000

Note:

1. The above indicated area may vary within plus or minus twenty per cent within the total area of Siddha college as specified at regulation 4.

693 9/13-13

SCHEDULE-IV

[See sub-regulation (7) of regulation 7 and sub-regulation (8) of regulation 7]

REQUIREMENT OF A SIDDHA COLLEGE HOSPITAL STAFF

S.No.	Post	Requirement
(1)	(2)	(3)
1.	Hospital Superintendent	1. The incumbent to the post of Hospital Superintendent will be with qualification not less than that of Professor. OR 2. Principal or Dean may function as ex-officio Hospital Superintendent. However, if there is an existing post of Hospital Superintendent, it shall continue to exist.
2.	Deputy Medical Superintendent	1. A recognized Post Graduate degree in Siddha medicine. 2. Full time regular incumbent with Post-graduate qualification in a clinical speciality <i>other than the teaching staff.</i>
3.	Consultants	Teachers of clinical departments
4.	Emergency Medical Officers	2
5.	Resident Medical Officer/Resident Surgical Officer (RMO/RSO)	4 (1 each in Maruthuvam, Sool, Magalirmaruthuvam, Kuzhandhaimaruthuvam and Aruvaimaruthuvam)
6.	Matron/Nursing Superintendent	1
7.	Staff nurses for In Patient Deptt.	1 for every 10 beds
8.	Ward Boy or Ayah	1 for every 20 beds.
9.	Pharmacists	2
10.	Dresser	2
11.	Store Keeper	1
12.	Office Staff (for registration, record maintenance, data entry etc.)	2
13.	Dark-room Attendant	1
14.	Operation Theater Attendant	1
Modern Medical Staff		
15.	Medical Specialist	1 part time/on contract
16.	Surgical Specialist	1 part time/on contract
17.	Obstetrician and Gynecologist	1 part time/on contract
18.	Pathologist	1 part time/on contract
19.	Anesthesiologist	1 part time/on contract
20.	Ophthalmologist	1 part time/on contract
21.	Pediatrician	1 part time/on contract
22.	Radiologist	1 (Post-graduate in Allopathic Radiology on contract)
23.	Dentist	1 part time/on contract

24.	X-Ray Technician/ Radiographer	1
Staff for Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam Therapy Section for In-Patient Department (IPD) & Out-Patient Department (OPD)		
25.	Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam Specialists	Teachers of Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam teaching department.
26.	House Officer or Clinical Registrar or Senior Resident (Siddha)	1
27.	Nurses for Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam	2 (1 male and 1 female); in addition to the nurses indicated at S.No.7.
28.	Varmam, Puramaruthuvam Assistant	2 male and 2 female
29.	Yoga teacher/Varmam expert/Bone setter	1 (from Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam Department)
Staff of Operation Theatre and Karanool Therapy Section		
30.	Aruvaimaruthuvam and karanool Therapy Specialists	Teachers of Aruvai, Tholmaruthuvam department
31.	Operation Theatre Attendant	1
32.	Dresser	1
33.	Nurse	1; in addition to the nurses indicated at S.No.7.
Labour Room		
34.	Sool, MagalirMaruthuvam Specialists	Teachers of Sool, MagalirMaruthuvam department
35.	Midwife	1
Clinical Laboratory		
36.	Laboratory Technicians	2
37.	Peon or Attendant	1
Teaching Pharmacy and Quality Testing Laboratory		
38.	Pharmacy Superintendent	1 (Teacher of Gunapaadam department.)
39.	Peon or Attendant	1
40.	Workers	2
41.	Analytical Chemist (Part time)	1 (Lab Technician provided under non-teaching staff in the Deptt.)
42.	Pharmacognosist (Part time)	1 (Lab Technician provided under non-teaching staff in the Deptt.)

Note: -

- (1) For hospital with more than sixty beds, two incumbents each as Resident Medical Officers, Resident Surgical Officers, Assistant Matrons and Pharmacists shall be additionally required.
- (2) The hospital shall be equipped with adequate provision of security, civil and electrical, sanitation, dietary and canteen, laundry and waste incineration and disposal services.
- (3) Essential duty staff and services shall be available round the clock.
- (4) Services of the non-technical staff like Peon, Attendant, Sweeper, Guards, Washer man, Gardener and Cook etc. may be obtained by outsourcing.

SCHEDULE-V

[See sub-regulation (4) of regulation 3, regulation 6, sub-regulation (7) of regulation 7 and sub-regulation (1) of regulation 8]

DETAILS OF TEACHING STAFF IN A SIDDHA COLLEGE

Teaching Department (2)	Requirement of teaching staff					
	Upto 60 students (3)			From 61 to 100 students (4)		
	Prof.	Reader	Lecturer	Prof.	Reader	Lecturer
1.Thotrakirama Aaraachiyum Siddha Maruthuva Varalaarum (History and Fundamental Principles of Siddha Medicine)	1	or 1	1	1	1	1
2.Udal Koorugal (Anatomy)	1	or 1	1	1	1	1
3.Udal Thathuvam (Physiology)	1	or 1	1	1	1	1
4.Gunapadam-Mooligai, Thaathu-Jeeva Vaguppu (Materia Medica)	1	1*	1	1	1*	1 + 1*
5.NoI Naadal and Noi Mudhal Naadal (Pathology)	1	or 1	1	1	1	1
6.Sattam Saarntha Maruthuvamum Nanju Maruthuvamum (Forensic medicine and Toxicology)	1	or 1	1	1	1	1
7.Sool and Magalir Maruthuvam (Obstetrics and Gynaecology)	1	or 1	1	1	1	1
8.Maruthuvam (Medicine)	1	or 1	1	1	1	1
9.Aruvai, Thol Maruthuvam (Surgery)	1	or 1	1	1	1	1
10.Kuzhanthai Maruthuvam (Peadiatrics)	1	or 1	1	1	1	1
11.Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (Varmam Therapy External Therapy and Special Medicine)	1	or 1	2	1	1	2
12.Maruthuva Thaavara Iyal (Medicinal Botany and Pharmacognosy)	1	or 1	1	1	1	1
13.Uyir Vedhiyiyal (Bio-Chemistry)	-	-	1	-	-	2
14.NoI AnugaaVidhi (Hygiene) Including Research Methodology and Medical Statistical	1	or 1	1	1	1	1
15. Thamizh /English	1	or 1	-	1	1	-
	15		15	14	14	17
	30			45		

*Exclusively for Thathu, Jeevam Practicals of higher order medicine preparations

Note:

(i) Apart from above, one Varma expert, One Traditional Bone setter, one Yoga teacher in the Department of Varma, Puramauthuvam, and eight Consultants of Modern Medicine as specified at Schedule-IV (Sl. Nos.14 to 22) shall be engaged for teaching on part time basis.

(ii) The deficiency of teachers for up to 60 intake capacity shall not exceed more than 10% of total requirement with availability of at least one teacher in each of Departments. The total number of Higher Faculty shall not be less than 12 Professor/Reader distributed in at least 11 Departments. This relaxation is for seeking conditional permission to undertake admission for academic session 2013-14 and 2014-15 only and will not be available thereafter. For example- the college having up to 60 seats intake capacity shall have atleast 27 total faculties, out of which atleast 12 Professor/Reader covering not less than 11 Departments.

(iii) The deficiency of total teachers for 61 to 100 intake capacity shall not exceed more than 10% of total requirement and deficiency of higher faculty shall not exceed more than 20% of total teachers with availability of at least one Higher faculty and one Lecturer in each of

13 Departments and 1 higher faculty in Tamil Department and one Lecturer in Bio-chemistry Department. The total number of Higher Faculty shall not be less than 19. This relaxation is for seeking conditional permission to undertake admission for academic session 2013-14 and 2014-15 only and will not be available thereafter. For example, the college having 61 to 100 seats intake capacity shall have atleast 40 total faculties covering all 15 Departments, out of which atleast 19 Professor/Reader covering 14 Departments, except Biochemistry.

SCHEDULE-VI

[See regulation 6 and sub-regulation (3) of regulation 8]

DETAILS OF TECHNICAL AND OTHER STAFF OF A SIDDHA COLLEGE

S.No. (1)	Department (2)	Post (3)	Requirement (4)
1.	Library	Librarian	1
		Assistant Librarian	1
		Library Attendant or Peon	1
2.	College Office	Personal Assistant to Principal	1
		Clerical staff for administrative accounts services	7
3.	Thotrakirama Aarachiyum Siddha Maruthuva Varalarum	Attendant	1
4.	Maruthuva Thavara Iyal (Medicinal Botony)	Laboratory Technician	1
		Attendant cum Museum Keeper	1
5.	UyirVediyal (Bio-Chemistry)	Laboratory Technician	1
		Attendant cum Museum Keeper	1
6.	Udal Koorugal (Anatomy)	Laboratory Technician	1
		Laboratory Assistant	1
		Attendant cum Museum Keeper	1
7.	Udalthathuvam (Physiology)	Laboratory Technician	1
		Attendant cum Museum Keeper	1
8.	Gunapadam	Laboratory Technician	1
		Laboratory Assistant	
		Attendant cum Museum Keeper	1
9.	Noi anuga vidhi	Attendant cum Museum Keeper	1
10.	Noi Naadal and Noi Mudhal Nadal	Laboratory Technician	1
		Attendant	1
11.	Sattam Sarntha Maruthuvam and Nanju Maruthuvam	Attendant cum Museum Keeper	1
12.	Maruthuvam	Attendant cum Museum Keeper	2
13.	Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam		
14.	Sool, Magalir Maruthuvam		
15.	Kuzhanthai Maruthuvam		
16.	Aruvai, Thol Maruthuvam		
17.	Herbal Garden	Gardener	1
		Multipurpose worker	2

Note: Sweeper, Attendant, Lifter, Laboratory Assistant, Data Entry Operator (DEO), Multipurpose Worker could be on contractual basis.

SCHEDULE-VII

[See sub-regulation (4) of regulation 3, regulation 6, sub-regulation (7) of regulation 7, sub-regulation (3) (i) of regulation 10 and regulation 11]

A. DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR MEDICINAL BOTANY LABORATORY

S.No.	Essential Equipment and Instruments
1.	Field magnifier
2.	Compound microscope
3.	Dissecting Microscope
4.	Microscope
5.	Slides box with cover slips,
6.	Blotting/filter papers
7.	Electronic balance
8.	Dissection Box
9.	Enamel Trays

B. DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR DISSECTION HALL

S. No.	Essential Instruments and Equipments	
1. (i)	Tank with a capacity to preserve 2-4 bodies.	
(ii)	Preservative Chemicals	
2.	Dissection Tables Sets	10 Sets
3.	Dissecting Table	
(i)	Full size with steel top or marble top stainless	04
(ii)	Half size with steel top or marble top stainless	08
4.	Miscellaneous	
(i)	Bone cutter of the numbers $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$ – fine pointed Chisel bone dissector	
(ii)	Bucket and Mug	
(iii)	Gloves powder	
(iv)	Surgical gloves	
(v)	Surgical blade	
(vi)	Soap	
(vii)	Disposable syringe – 20cc, 10cc, 5cc	
(viii)	Towels	
(ix)	Dustbin	
5.	Furniture and Other Equipments	
(i)	Stools preferably of metal	50
(ii)	Wash basin	02
(iii)	Machines for bones and brain sectioning	1
(iv)	OHP	1
(v)	X-ray viewing box or panels	3
(vi)	Glass jars of different sizes	300

C. DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR PHYSIOLOGY (UDAL THATHUVAM) LABORATORY

S. No.	Essential Instruments and Equipments
1.	Microscopes with oil immersion
2.	Westergren's pipette for ESR
3.	Haematocrit Tube
4.	Sahli's Haemoglobinometer
5.	Haemocytometer
6.	Stethoscope
7.	Clinical Thermometer
8.	Knee Hammer
9.	Tuning forks
10.	Electrocardiograph
11.	Stop watches
12.	Water Distillation still
13.	Thermometers, balances, Microslides
14.	Cover slips, glassware
15.	Centrifuge with speed control
16.	Colorimeter (Photoelectric)
17.	pH Meter (Electric)
18.	pH Comparator with disc
19.	Refrigerator
20.	Newton's colour wheel in a batch
21.	Spirometer
22.	Tonometer
23.	Hydrometer
24.	Viscometer
25.	Osmometer
26.	Sterilizer
27.	BP Apparatus
28.	Torch
29.	Measuring Tape
30.	Weighing machine
31.	Peakflowmeter
32.	Reagents

D. DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR GUNAPAADAM LABORATORY (TEACHING PHARMACY LAB)

S.No.	Essential Instruments and Equipments
1.	Kalvam
(i)	Small
(ii)	Medium
(iii)	Porcelain
(iv)	Thapthakalvam
2.	Heating Device-
(i)	Gas Stove
(ii)	Electric stove
(iii)	Hot plate
(iv)	Aduppu (Charcoal)
3.	Vessels-
(i)	Frying Pan
(ii)	Steel Vessel
(iii)	Spatula
(iv)	Ladles & Spoons
(v)	Knife
(vi)	Plates
4.	Measuring Equipments Different Size (Glass)
5.	Big Vessels & Containers
(i)	Brass
(ii)	Copper
(iii)	Steel etc.
6.	Balance (Different Capacities)
(i)	Physical
(ii)	Chemical
7.	Pounding Apparatus
8.	Sieves (Assorted Numbers & Size)
9.	Wet Grinder
10.	Mixi
11.	Juice Extractor
12.	Pudam (Different kinds)
13.	Pyrometer
14.	Thermometer
15.	Pressure Cooker
16.	Moosai (Crucibles)
17.	Thuruthi with Blower
18.	Refrigerator
19.	Jars(Porcelain) Fermentation Purpose
20.	Yandiram
(i)	ThulaYandiram
(ii)	ValukaYandiram
21.	Distillation Apparatus
22.	Enamel Trays

23.	Spirit Lamp
24.	Microscope
25.	Earthen Vessels
26.	Almiras & Racks for storage

E. DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR NOI NAADAL (PATHOLOGY) LABORATORY

S.No.	Essential Equipment and Instruments
1.	Binocular microscope
2.	X-ray view box
3.	Sterile disposable lancet/needle
4.	Sahli's Square tube
5.	Hb pipette
6.	Dropper
7.	Glass rod
8.	WBC Pipette
9.	Improved Neubauer chamber
10.	Cover slip
11.	Red cell pipette
12.	Cleaned slides
13.	Incubator
14.	Wintrobe's tube
15.	Pasteur's pipette
16.	Centrifuge Graduate machine
17.	Westergren's pipette
18.	Rubber teat
19.	Westergrens's stand
20.	Litmus paper
21.	pH indicator paper strips
22.	Urinometer
23.	Multi stix
24.	Bunsen burner
25.	Test tube
26.	Test tube holder
27.	Filter paper
28.	Steel almirah
29.	Steel rack
30.	Glass Jars with lid of different sizes
31.	Glass view rack
32.	Magnifying lens
33.	Autoclave
34.	Water bath
35.	Separating funnels of various sizes
36.	Stop watch
37.	Ultraviolet lamp

693 5013-15

38.	Monocular microscope with oil emersion lens20(e)
39.	Capillary Tubes
40.	Hot air oven
41.	Microscope with oil immersion
42.	Refrigerators
43.	Sterile vessels/bottle to collect samples
44.	BP Apparatus
45.	Stethoscope
46.	Thermometer
47.	Tongue depressor
48.	Torch
49.	Knee hammer
50.	Measuring Tape
51.	ENT examination set
52.	Reflectors(Mirrors)
53.	Weighing machine
54.	Tuning Forks
55.	Nasal speculum
56.	Laryngoscope
57.	Catheters
58.	Probes
59.	Disposable Gloves
60.	Physical balance
61.	Syringe needle destroyer
62.	HBs Ag kit
63.	HIV kit - Tridot (method by T Mitra)
64.	CT and BT kit
65.	Cell counter (haemoautoanalyser)
66.	Renal profile, LET kit, Lipid profile, Blood Sugar kit

F. DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR LABOUR ROOM

S.No.	Essential Equipment and Instruments
1.	Shadowless Lamp
2.	Suction Machine (Neonatal)
3.	Oxygen Cylinder and Mask
4.	FoetalToco Cardiograph
5.	Radiant Warmer
6.	Photo therapy Unit
7.	Weighing Machine (Paediatric)
8.	Patient trolley
9.	Anaesthesia trolley
10.	Infantometer
11.	Vacuum extractor
12.	Foetal Doppler
13.	Low cavity forceps
14.	Sterilizer

S.No.	Essential Equipment and Instruments
15.	Mackintosh rubber sheet
16.	Catguts and Thread
17.	Speculum – Sim's -Cuscos
18.	Instruments for labour and Episiotomy (Scissors, forceps, needle holders etc.)
19.	Baby tray
20.	Draw Sheets
21.	Plastic Aprons
22.	HIV kit for emergency patients
23.	Plain and Hole towels
24.	Gloves
25.	Nebuliser
26.	Foetoscope
27.	Auto Clave
28.	Drums
29.	Instrumental Trolley
30.	OT tables and head -Up and head -Low facility
31.	Double dome Shadow less lamp
32.	Pulse Oxymeter
33.	Oxygen Cylinder
34.	Resuscitation kit
35.	Boyle's apparatus
36.	Electro Cautery
37.	MTP Suction Machine
38.	Anaesthesia Kit
39.	Blunt and Sharp Curettes
40.	Dilators set (Hegar's, Hawkins)
41.	Anterior Vaginal Wall retractor
42.	Uterine sound
43.	Volsellum
44.	MTP Suction Curette
45.	Needles
46.	Needle holders
47.	Sponge holding forceps
48.	Towel Clips
49.	Retractors abdominal (Doayne's etc.)
50.	Green armytage forceps
51.	Uterus holding forceps
52.	Kocher's forceps
53.	Artery forceps (Long, short, Mosquito)
54.	Scissors- different sizes
55.	Forceps obstetrics
56.	Tongue depressor
57.	Endotrachial tubes
58.	B.P. apparatus
59.	HSG Cannula
60.	Cord Cutting appliances

693 4013-16

S.No.	Essential Equipment and Instruments
61.	I.U.C.D. removing hook
62.	Bladder Sound

G. DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR MINOR OPERATION THEATRE

S.No.	Essential Equipment and Instruments
1.	Spot light
2.	Needle Holding Forceps
3.	Dressing Drums of assorted size
4.	I.V. Stand
5.	X-ray view box
6.	Masks and caps
7.	Gauze, cotton and Bandage
8.	Gloves of different sizes
9.	Artery forceps (small, medium, big)
10.	Dissection forceps
11.	Sinus forceps
12.	Scissors – straight
13.	Scissors curved of different sizes
14.	Stitch removal scissors
15.	Pointed scissors
16.	Probes assorted sizes
17.	Needle holders
18.	Suturing needle
19.	Surgical thread
20.	B.P. Handle of different size
21.	Surgical blades of different sizes
22.	Rubber catheters
23.	Generator
24.	Emergency light
25.	Refrigerator
26.	Autoclave
27.	Proctoscopes – various sizes
28.	Nasal speculum
29.	Ear speculum
30.	Eye wash glasses
31.	Aural syringe
32.	Kidney trays
33.	Kaaranool – Medicated Thread
34.	Salaagai
35.	Operation Table
36.	Instrument trolley
37.	Revolving stools
38.	Electric sterilizers
39.	Vaporizer
40.	Nebulizer

41.	Gabriel syringe
42.	Piles holding Forceps
43.	Barron piles Gun
44.	Vertical BP Instrument

H. DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR OUT PATIENT DEPARTMENTS

S. No.	Name of Department	Equipment, Instrument, Furniture etc required as per norms of CCIM
1	Maruthuvam – (Medicine)	Hand Washing facility
		X-ray viewing Box
		BP Apparatus
		Stethoscope
		Sitting arrangement for internees/students
		Examination Table
		Thermometer
		Tongue depressor
		Cotton balls
		Torch
		Measuring tape
		Weight and height measuring stand
		Knee Hammer
Washbasin		
2	Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (Varmam therapy, External therapy and Special Medicine)	X-ray viewing Box
		BP Apparatus
		Stethoscope
		Sitting arrangement for internees/students
		Examination Table
		Thermometer
		Tongue depressor
		Cotton balls
		Torch
		Measuring tape
		Weight and height measuring stand
		Knee Hammer
		Washbasin
3	Aruvai, Thol Maruthuvam (Surgery, Dermatology)	Hand washing facility
		Drainage facility
		Minor OT
		Instruments for anorectal examination
		Examination Table
		BP Apparatus

		Surgical Blades
		Cotton balls
		Gauze pieces
		X-ray viewing Box
		Stethoscope
		Sitting arrangement for interneers/students
		Cheetle's forceps
		Torch
4	Sool, Magalir Maruthuvam (Obstetrics and Gynecology)	Weighing machine
		Sim's speculum
		Cusco's speculum
		Examination Table
		Lamp stand
		Torch
		X-ray viewing Box
		BP Apparatus
		Stethoscope
		Sitting arrangement for interneers/students
		Examination Table
		Weighing Machine
		Measuring tape
		Washbasin
5	Kuzhanthai Maruthuvam (Paediatrics)	Scale (Baby Weighing)
		Torch
		X-Ray Viewing Box
		Thermometer
		BP Apparatus
		Stethoscope
		Examination Table
		Sitting arrangement for interneers/students
		Scale for height measurement
6	Avasara Maruthuvam (Casualty)	Facilities available (Equipment, Instrument, Furniture etc)

P. R. SHARMA, Registrar-cum-Secy.

[ADVT. III/4/124/12/Exty.]

Note: If any discrepancy is found between Hindi and English version of "Indian Medicine Central Council (Minimum Standard Requirements of Siddha Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2013", the English version will be treated as final.